an>

Title: Combined discussion on the Budget for the Uttarakhand Budget for 2016-17 and Demands for Grants (On Account) Nos. 1 and 3 to 31 in respect of Budget for Uttarakhand for 2016-17.

HON. SPEAKER: Now the House will take up General discussion and Demands for Grants on Account (Uttarakhand).

Motion moved:

> "That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third colomn of the Order Paper be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttarakhand, on account, for or towards defraying the charges during the year ending on the 31st day of March, 2017, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos.1 and 3 to 31."

DEMANDS FOR GRANTS

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): I will just give the brief context in which the moving of this Bill is a constitutional necessity. Under the Constitution, the Legislature of every State shall have to pass its own budget. As far as the State of Uttaratkhand – I should not be misunderstood because these issues are pending, even before courts - notwithstanding what the courts decide, the passage of this Bill is a constitutional necessity. Otherwise, there will be a grave crisis as far as Utharakhand is concerned.

On the 18th of March, Vidhan Sabha of Utharakhand took up the budget. It is now stated and alleged that nine Members of the Ruling Party voted against the budget. Therefore, the simple arithmetic seems to suggest that theâ€¦..

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): They have not voted. There was no voting at all. The budget was passed by voice vote.

SHRI ARUN JAITLEY: Voice vote is also a voting. Since Shri Kharge has raised it, let me give the facts. I did not want to get into grey areas. Madam, 27 Members gave in writing that `we want a division'. Thereafter 36 Members told the Governor in writing that `we have voted against the budget, and we wanted a division'. This is the first time in the history of Independent India that out of 67 Members present, 35 or 36 are giving it in writing stating that they have voted against the budget, and the budget is still declared to be passed. Therefore, there is a serious doubt and a cloud whether a budget has been passed or not. After the budget was passed, the Speaker of the House has to certify and write to the Governor that the budget has been passed, and the Governor has to accept that.

From 18th till the midnight of 27th of March, when the Council of Ministers recommended action under Article 356, no recommendation or certificate had come that the budget has been passed. On the morning of 28th of March, President's rule was proclaimed. Thereafter, on the afternoon of 28th of March, the Governor received a certificate from the Speaker – on 28th of March – which is dated 19th of March saying that `I had already on 19th of March declared the budget to be passed'. The Reports of the Governor *prima facie* say that there is a doubt and a cloud because the number seem loaded against the budget. The fact that nine Members have been disqualified means that the nine have voted against the Party, and therefore against the budget. If nine have voted in favour of the budget, and the budget was passed, there is no reason why they should have been disqualified. The very fact that the Speaker had disqualified them itself is an evidence. You can't have it both ways. Nine have been disqualified because they voted against the budget. So, the Government would have gone.

I do not want to go into these areas. Now there is a serious doubt about the passing of the Budget. On the 31st of March, having proclaimed the President's Rule, the Central Government was faced with a question as to what happened to the so-called Budget that has been passed on the 18th of March. Was it passed or was it not passed? No Appropriation Bill has been authorised by the Governor as yet. When the President's Rule was proclaimed, even a certificate from the Speaker had not come and so, from the 1st of April, the State would have been pushed into a further constitutional crisis that not a rupee to be spent by the State of Uttarakhand would have been authorised. So, the Secretariat would have stopped working, their office here in Delhi would have stopped functioning, salaries would not be payable, the High Court would have stopped functioning, if there are vehicles, nobody would put fuel into the vehicles because no money was sanctioned with effect from the 1st of April, and, therefore, on the 31st of March, to avoid such a constitutional crisis, more as a matter of abundant caution – because what happened on the 18th of March itself was a grey area and highly doubtful that it had been passed – we issued an Ordinance in support of the Appropriation Bill itself, sanctioning the appropriation for the financial year 2016-17. It is that Ordinance, along with the Budget, has come up for consideration before this House today.

Since then, there were multiple challenges. One is a challenge with regard to the voting rights of nine people which we are not concerned in the debate today. The second is a challenge which some Members of the Congress Party have made saying, 'no, this Appropriation Bill is not necessary because we believe that on 18th March the Budget had been passed and the Speaker's certificate is the final declaration to that effect.' That matter has not even come up for hearing; we do not know what the courts will do on that matter. There is a third matter where the High Court said that the Proclamation under Article 356 is not valid; that matter is taken up in appeal; that matter was heard and tomorrow the *Vidhan Sabha* meets to decide what is to happen again.

Now, various things can happen. The previous Government can continue and be revived, a new Government can come in or the President's Rule can continue. This does not reflect on any of these three situations. If any new Government is formed of either party, it will be entitled to call for its own Session of the *Vidhan Sabha,* pass its own Budget and make changes to whatever we are doing. Alternatively, if the President's Rule is to

continue, then I have asked for an appropriation for a period of four months so that the expenditure of the State can go on meanwhile. Even if a new Government comes in of either party as a result of what happens tomorrow, with effect from the 1st of April, till the *Vidhan Sabha* passes its Budget again, because of this cloud of 18th March, the expenditure undertaken has to be sanctioned and that can only be sanctioned under this Budget. Therefore, irrespective of what happens tomorrow, if there is a new Government which comes in or the old Government which comes in or the President's Rule continues, the due course of the Constitution will follow. But, in any of these situations, we do not want a constitutional crisis there that tomorrow a situation comes where the expenditure with effect from the 1st of April has not been sanctioned.

Therefore, as a matter of abundant caution, as a constitutional necessity, we should approve the Budget, the appropriation for a period of four months and the Ordinance which has been issued. In case a popular Government is installed in the State, it will be entitled to call its own *Vidhan Sabha* Session and then correct whatever changes that they want to make. We are not making any detailed provisions, but we are just providing for the expenditure and the receipts itself so that the constitutional necessity can be fulfilled.

Now, this is not contingent on what happens tomorrow. The only area it is contingent on is because there is a serious doubt about passing of the Budget. The Congress Party may well contend that on 18th of March the Budget was passed; *prima facie* the number suggests that it was not passed. Therefore, we can leave that dispute as a political contention between the two of us. But this is a constitutional necessity where the Lok Sabha has its own duty to perform and, that is why, I am recommending to this House that these proposals of the Government be accepted.

HON. SPEAKER: Shri Gaurav Gogoi.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, I have a small point.

HON. SPEAKER: What is it?

PROF. SAUGATA ROY : I am concerned because this is involving the Speaker. As we know, in this House, the Speaker is supreme. When you pass the Budget in this House, it is you, Madam, who certifies that this Budget has been passed. I am not going into the sordid tales of horse trading allegations made....(*Interruptions*) Just one moment. The Speaker of the Uttarakhand Assembly gave in writing that the Budget has been passed by the Assembly. If I go by the recent trends in Court judgement, the Speaker's opinion in any matters regarding legislation, defection is final. I may inform you, Madam, you may already be knowing that today the Uttarakhand High Court has held that the anti-defection action against the nine dissident MLAs by the Speaker was correct and it has been upheld. So my contention is that we should do nothing that impinges on the absolute authority of the Speaker at the Centre or the State to interfere in the matter. I think that, yes, what Mr. Jaitley has said as a responsible Finance Minister, it is his duty to see that administration does not come to a standstill, that the cars can be fuelled, the Secretariat may open etc. He is taking care of that contingency. I am talking of another contingency; if a Speaker says, yes, the Budget has been passed. He says that *prima facie* it appears that nine people did not vote. That is *prima facie*; it has no proof. In a voice vote, who knows whose voice is the loudest? Two people may shout louder than 20 people. So my contention is that in such a situation, we should not have hurried to have the Appropriation Bill regarding Uttarakhand to be passed. It is because, it is a question of upholding the supremacy of you, Madam Speaker. If you change the law, change the Constitution, if you give the Election Commission power to decide on anti-defection, that is a different matter. The law as it stands today is that with regard to giving certificates, like if you give a certificate that this is a Money Bill, this is the last word. Not even the President of India can interfere. If you give a certificate that these are people who are disqualified on grounds of Anti Defection Law, nobody up to now can do anything about it. If the Uttarakhand Speaker gives a certificate that the Budget is passed, whether it is in good faith, whether he was correct, whether the drama was sordid etc., I do not want to go into this. I want your considered ruling on the matter regarding the supremacy of the Speaker in the House and in the legislative Business. That is all, Madam.

HON. SPEAKER: Shri Gaurav Gogoi.

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, because this issue repeatedly arises, I think, we should set it at rest. I substantially agree with what Mr. Saugata Roy is saying. Article 212 clearly says, the proceedings of the Legislature are not to be questioned in any House before a court. Therefore, when a Speaker gives a ruling, the mandate of the Constitution is that the Speaker's ruling cannot be questioned in court. These days, I find that Mr. Saugata Roy is very charitable towards the principal Opposition Party.

PROF. SAUGATA ROY: No, I am not....(*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: No, you are.

PROF. SAUGATA ROY: They campaigned against us...(*Interruptions*) I am very hostile to them....(*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: Even when your Party outside this House and in the other House strongly opposes them, you alone are seen supporting them. I have seen it on more than one occasion. ...(*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): This is a misinterpretation; I strongly disagree....(*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: I will tell you where he goes wrong....(*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: We are maintaining equidistance....(*Interruptions*) To Narendra Modi *ji*, Sonia *ji*, Rahul *ji*, Sitaram Yechury, all parties, we have shown big thumbs up to them. On 19th May, we are showing the results....(*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, where is the difference? What do you do? Let us take a hypothetical situation. A Budget or a legislation itself in a State Assembly is defeated. The Speaker says: "Even though the measure in front of me has defeated it, I declare it passed." If Mr. Saugata Roy is right then the Constitution is helpless....(*Interruptions*) Now, Speaker is the master of the House. Members in writing demand a division or members

orally demand a division. The proceedings of the Vidhan Sabha indicate: "A division was asked for but I declared it passed." ...(*Interruptions*) Please, have the patience. Now, when you have taken up their brief, you must get the answer. â€¦ (*Interruptions*) What does happen? Can, under Article 212, the court go into it? The answer is 'no', the court still cannot go into it. You are right. But under Article 356, there is no greater violation of the Constitution than a violation where a Speaker wrongly interprets the arithmetic and a Government, which should have gone that day, he saves the Government by wrongly counting the arithmetic. Now, please understand. If a Budget fails, the Government has to resign. A Speaker declares a defeated Budget as passed. Is it failure of the Constitutional machinery under Article 356? The answer is 'yes'. Can a court go into it under Article 212? The answer is 'no'. So, you are absolutely right. If a Speaker misconducts himself and declares a failed Bill as passed, the court will still have to accept that. But the President's satisfaction under Article 356 is not limited by powers of the court under Article 212. The President can still say: "This is the best example of the failure of the Constitutional machinery that a failed budget is being declared as passed. A Government, which should have fallen that day, is being allowed to continue." It is nowhere our case that under Article 212, the court should go into it. The President took cognizance of this and the President, through the Council of Ministers, came to the satisfaction that 27 plus 9 is 36. Thirty-six constitutes a majority in a House where 67 people are present. Therefore, if 36 say: "I have voted, in writing, against the Bill or the Budget, and the Speaker declares it passed, that is a failure of the Constitutional machinery. The Governor, therefore, has rightly not given assent to the 18th March Bill. In the absence of Governor's assent, there is no Budget. There is no Appropriation Bill. Therefore, the State will be pushed on the 1st of April into a Constitutional crisis. It is, therefore, required that the Centre steps in and the Lok Sabha under Article 356 does its own duty and passes the Appropriation Bill of the State.

PROF. SAUGATA ROY: If the Speaker does something, the President or the Governor has no right to call the Speaker's decision right or wrong under Article 356 or whatever. But still to disprove Mr. Jaitley's allegation that I am getting closer to the Congress Party, we, the Trinamool Congress, will support him to prove that we are not snuggling up to anybody. We are equally opposed to BJP and the Congress, CPM combined.

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं यहां से बोलने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं।

दूसरा, ऐसा लगता है कि एक कोर्ट में हम दो वरिÂष्ठ लॉयर्स की बातें सुन रहे हैं और कहीं हम भूल गये हैं कि यह बिल भारत के बहुत ही सुन्दर राज्य से जुड़ा हुआ है। वह राज्य उत्तराखंड है, जिसकी आबादी एक करोड़ है। वह बहुत ही सुन्दर जगह है। लाखों लोग वहां गंगा के किनारे प्रार्थना करते हैं, चार धाम की यात्रा करते हैं। मैं भी उत्तराखंड में भीमताल, नैनीताल, गैरसैण, अंजनीसैण, गया हूं। हम हिमालय के पर्वतों पर जितना ऊंचा जाते हैं, उतना हमें लगता है कि हम भगवान के और करीब आ गये हैं। शायद इसीलिए उत्तराखंड का नाम देवभूमि है। आज उस उत्तराखंड के लोगों को, उस उत्तराखंड की संस्कृति को हमें यहां पर लाना चाहिए। वहां के लोगों के अंदर की आत्मशक्ति और संस्कृति के प्रति प्रेम दिल को छू लेता है। कुछ ऐसे गाने हैं जो एक बार जुबान पर आ जाएं तो जाते नहीं हैं, चाहे बेड़पाक हो, बारमासा हो, या नया गाना हो जैसे - बंटी तेरो मोबाइल, वाह भई क्या तेरी स्माइल। उत्तराखंड की और खूबसूरत बात वहां के लोग हैं। कुछ यहां पर भी हैं, मैं स्वयं उनसे मिला हूं। 1970 में उत्तराखंड के लोगों ने चिपको आंदोलन की शुरुआत करके पूरे देश को आवाज दी कि अगर अपने भविÂष्य का संरक्षण करना है तो स्वयं जमीन पर आना पड़ेगा। आप मानो या न मानो टिहरी आंदोलन में भी सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड के लोगों ने दिखाया कि उनके अंदर कितनी आत्मशक्ति है। उनकी आवाज, उनके सपने 9 नवंबर, 2000 को साकार हुए जब उत्तराखंड, उत्तरांचल का जन्म हुआ। इसके बाद 2006-2007 में उत्तरांचल से उत्तराखंड का नामकरण हुआ। इतिहास में एक बात देखी गई कि इस देवभूमि के लोगों में देव शक्ति है, दिव्य शक्ति है, ये संविधान का सम्मान चाहते हैं। उत्तराखंड के लोग लोकतंत्र चाहते हैं। उत्तराखंड में तीन बार असैम्बली इलैक्शन हुए हैं, तीन बार लोकसभा इलैक्शन हुए हैं। हाल में ही असैम्बली इलैक्शन 2012 को हुआ। उत्तराखंड के लोगों ने क्या मांगा, कांग्रेस की सरकार। ये उनके सपने हैं। वे लोकतंत्र के अधिकार का पालन करके कांग्रेस सरकार लेकर आए। इस वÂान के आरंभ में एप्रोप्रिएशन बिल उत्तराखंड के उन्नयन और भविष्य के लिए लेकर आए। लेकिन लगता है कि यहां पर बड़ा भाई रायसीना हिल पर बैठा हुआ है। बड़ा भाई चाहता है, छोटे राज्यों में क्या हो रहा है, इससे उनका कोई मतलब नहीं है। वह अपना अहंकार दिखाएंगे।

मैं कुछ फैक्ट्स और महत्वपूर्ण तिथियां आपके सामने रखना चाहता हूं। वरिÂष्ठ मंत्री यहां पर हैं, उन्होंने इतिहास बताया, लेकिन शायद सबको इतना मालूम नहीं है इसलिए उन लोगों के लिए मैं आपका ध्यान कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की तरफ दिलाना चाहता हूं। इसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि उत्तराखंड के लिए आपके दिल में कितना लगाव है और आप लोग राजनीतिक उद्देश्यों को कितना सिर पर रखते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, 18 मार्च को बिल पारित हुआ, मनी बिल था, एप्रोप्रिएशन बिल था। स्पीकर ने 28 मार्च के लिए एजर्न किया। आपने जैसा कहा कि कुछ विरोधी थे, बिल पारित हुआ कि नहीं हुआ। आपने खुद कहा कि कोर्ट नहीं देख सकता कि असैम्बली की प्रोसीडिंग कैसे हुई। लेकिन अगर असैम्बली में मेजोरिटी दिखानी है तो मेजोरिटी दिखाने का एक ही उपाय है, जो 1996 के बोम्मई में जजमेंट में थी - "Majority can only be proved on the floor of the House." 20 मार्च को गवर्नर, स्पीकर, मुख्यमंत्री तीनों ने मिलकर निर्णय लिया कि 28 मार्च को फ्लोर टैस्ट होगा। 28 मार्च को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता लेकिन क्या हुआ। 26 मार्च को असम के जोरहाट टाउन में प्रचार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को रात को रुकना था, लेकिन रायसीना हिल से कहीं से फोन आया कि हाई कोर्ट की जजमेंट हाउस के कम्पोजिशन नौ एमएलए पर बीजेपी के हित में नहीं गई है, कुछ करना पड़ेगा। हमने पहली बार देखा कि रातों रात 26 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री प्रचार छोड़कर आए और 12 घंटे में 27 मार्च को प्रेजीडेंट रूल की घोÂषणा हो गई। ऐसी क्या बात हुई, ऐसी क्या जिम्मेदारी, ऐसी क्या जल्दी थी? यह आपकी कैसी राजनीति है कि रातों रात आपने डिसाइड किया? ...(व्यवधान) आप अभी से उत्तेजित क्यों हो रहे हैं, अभी तो मैं फैक्ट्स बता रहा हूं।...(व्यवधान) आपकी यह हलचल उत्तराखंड में भी दिखाई दी कि जब 28 मार्च को फ्लोर टैस्ट था, आप 28 मार्च तक रुक नहीं पाए। गवर्नर ने कहा कि फ्लोर टैस्ट करो लेकिन आप फ्लोर टैस्ट के लिए रुक नहीं पाए और 27 मार्च को प्रोक्लेमेशन दे दिया। 29 मार्च को सिंगल बैंच का एक आर्डर आता है कि संविधानिक तरीके से दोबारा फ्लोर टैस्ट 31 मार्च को करते हैं और देखते हैं कि हाउस में किसकी मैजोरिटी है। इसे भी केंद्र ने चैलेंज किया और दूसरे फ्लोर टैस्ट से भी बीजेपी भाग गई और 31 मार्च को 13642 करोड़ रुपए का आर्डिनेंस लाते हैं। ऐसी क्या जल्दी थी, अगर 27 मार्च को आपने प्रेज़ीडेंट रूल लगाया तो उसी दिन आर्डिनेंस लाते, ऐसा क्या हुआ कि आपमें 31 मार्च को अचानक उत्तराखंड के प्रति सहानुभूति जाग गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दस मई को, यानी कल फ्लोर टैस्ट होगा। कल पता चलने वाला है कि उत्तराखंड सरकार का बहुमत किसके हाथ में है। आप एक दिन भी रुक नहीं पाए। ऐसी क्या जल्दी है कि आज ही एप्रोप्रिएशन बिल और आर्डिनेंस बिल को लाना था जबकि कल ही फ्लोर टैस्ट होने वाला है। आप फ्लोर टैस्ट से डरते हैं। यह तीसरी बार हो चुका है कि जब भी फ्लोर टैस्ट आया है, बीजेपी हमेशा कोई न कोई ओब्सटेकल लगाती है।

अध्यक्ष महोदया, आज बीजेपी की राजनीति में दो शस्त्र आ गए हैं पहला आर्टिकल 356 और दूसरा आर्डिनेंस। हमने इस साल के शुरूआत में कांस्टीट्यूशनल दिवस मनाया था। हमने बहुत भाÂषण दिए और डॉ. बी.आर. अम्बेडकर को याद किया लेकिन हम उनके आदर्शों और उनकी आकांक्षाओं को भूल चुके हैं। डॉ. अम्बेडर ने स्वयं कहा था कि आर्टिकल 356 रेयर आफ दि रेयरेस्ट केस में होना चाहिए लेकिन आपकी सरकार ने तीन महीने में ही दो बार इसका यूज़ किया। बिहार और दिल्ली के चुनावों से पता चल गया कि चुनाव के माध्यम से तो आप सरकार नहीं बना पाएंगे और आर्टिकल-356 और आर्डिनेंस के द्वारा जो आपके नए राजनीतिक अस्त्र हैं, इनका उपयोग कांग्रेस मुक्त भारत के लिए प्रयोग करेंगे।...(व्यवधान)

महोदया, मैं अब वित्त मंत्री जी की स्टेटमेंट की बात करना चाहूंगा। उन्होंने पहले कहा कि बिल पारित नहीं हुआ। प्राइमाफेसी एविडेंस से बिल पारित नहीं हुआ। सदन में आधार बिल आता है, उसे मनी बिल करार दिया जाता है, फिर उसे पास कर दिया जाता है, आर्डिनेंस दिया जाता है लेकिन आपका जो निर्णय है, कांग्रेस हमेशा उसको सम्मान देती है।

SHRI ARUN JAITLEY: Do not say that, because you have challenged the Speaker's ruling on Aadhaar Bill itself before the Supreme Court. This is the first time in India that the Legislature or a Member of a Legislative Body is inviting the court to say that the Speaker's rulings are subject to judicial review; and that is your party.

श्री गौरव गोगोई: मैं वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली में रायसीना हिल में बैठे नेता निर्णय ले रहे हैं कि किसी राज्य की विधान सभा में बिल पारित हुआ या नहीं हुआ। दिल्ली में बैठे रायसीना हिल के नेता राज्य विधानसभा के स्पीकर से बड़े हो गए हैं। संविधान में ऐसा नहीं लिखा है। वित्त मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि संविधान के आर्टिकल-212 में लिखा है कि कोर्ट भी नहीं पूछ सकता कि एक स्पीकर ने हाउस को कैसे कंडक्ट किया लेकिन आज केंद्र सरकार तो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी हो गई है। वित्त मंत्री सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो गए हैं। वे स्वयं कह रहे हैं कि बिल पारित नहीं हुआ। स्पीकर ने लिखित में कहा और आज केंद्र सरकार का यही अहंकार है, यही नारसिस्टिक ट्रेंड है कि स्पीकर से बड़े हो गए और सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए। आज मनी बिल पर स्पीकर की जो आथोरिटी है, संविधान के अनुच्छेद 110 (3) में लिखा है कि मनी बिल है या नहीं है, उस पर स्पीकर की रूलिंग फाइनल है।

Whether a Bill is a money Bill or not is final. When the Speaker has said that the money Bill has been passed, that cannot be questioned. लेकिन बीजेपी कहती है कि यह पारित नहीं हुआ। यह किसके आधार पर ऐसा कहती है? बीजेपी के स्वयं के विधायकों के आधार पर ऐसा कहती है। ...(व्यवधान) निर्णय कौन लेता है? निर्णय भी बीजेपी लेती है। मतलब ज्यूरी भी बीजेपी, ज़ज भी बीजेपी और उसे अन-कांस्टीट्यूशनल कहकर एक नया आर्डिनेंस लाकर एक्जीक्यूशनल भी बीजेपी है। यह है आपका डेमोक्रेसी और संविधान का मॉडल, जिसमें ज़ज भी आप, ज्यूरी भी आप और एक्जीक्यूशनर भी आप। आपको बधाई हो।

कांस्टीट्यूशन दिवस पर डॉ. अम्बेडकर जी की स्मृति के दिन यह तो नहीं कहा कि चेक एंड बैलेंस नहीं होना चाहिए। तब तो आपने नहीं कहा कि ज़ज भी हम, ज्यूरी भी हम और एक्जीक्यूशनर भी हम। आज आप किसके आधार पर कह रहे हैं? ...(व्यवधान) बीजेपी के विधायक लिखित रूप में पत्र लेकर गवर्नर के पास गये। क्या वह आधार है, वह सबूत है कि एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ? आप किसके आधार पर कह रहे हैं ...(व्यवधान) कि वोट से पहले विधायकों ने लिखित रूप से कहा कि वहाँ पर डिवीज़न होना चाहिए, तो क्या यह इससे साबित हो गया? यह एक ही चीज से साबित होता है। ...(व्यवधान) यह सिर्फ फ्लोर टेस्ट से साबित होता है। ...(व्यवधान) यह बोम्मई के केस में ज़ज का ज़जमेंट है। ...(व्यवधान) आप उस ज़जमेंट को पढ़िए। यह एक सिर्फ फ्लोर टेस्ट से साबित होता है। ...(व्यवधान) यह लिखित रूप से गवर्नर की मीटिंग से नहीं होता है। ...(व्यवधान) स्पीकर के साथ लिखित रूप में कॉरिसपौंड करने से नहीं होता, यह केवल फ्लोर टेस्ट से साबित होता है। यह बात याद रखिए।...(व्यवधान)

मैं दूसरी बात ब्रेक डाउन ऑफ कांस्टीट्यूशनल मशीनरी के बारे में कहना चाहता हूँ। यह किसके आधार पर कहा जाता है। यह इसलिए कहा जाता है कि विधायकों ने डिवीज़न मांगा और डिवीज़न नहीं दिया गया, उसके आधार पर यह कहा जाता है। ...(व्यवधान)

मैडम स्पीकर, हम लोग भी आपसे एडज़र्नमेंट मोशन मांगते हैं, हम लोग भी लिखित में देते हैं। जब सुबह में आप मिलती हैं, तो कभी मुस्कराकर हमें इसके लिए स्वीकृति दे देती हैं, कभी हमें नियम समझाकर आप बता देती हैं कि यह पॉसिबल नहीं है। यदि यह पॉसिबल नहीं है तो क्या can I make a case कि यह कांस्टीट्यूशनल ब्रेक डाऊन हो गया क्योंकि विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है। ऐसा कैसे? ...(व्यवधान)

एक समय था, जब इस पार्लियामेंट में छः से ज्यादा राजनीतिक दल के लोग पार्लियामेंट के बाहर थे, वे एक हफ्ते के लिए सस्पेंड थे। Is that not the breakdown of constitutional machinery? लेकिन उन्होंने लिखित रूप में डिवीज़न मांगा और नहीं दिया गया। इसीलिए आप बोल रहे हैं। आप यह दुबारा उल्लंघन कर रहे हैं। You cannot question the conduct of a Speaker. आज क्या हो गया है? Where is federalism?

प्रधानमंत्री मोदी जी को-ऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कहते हैं, लेकिन मुँह पर को-ऑपरेटिव फेडरलिज्म और दिल में कांग्रेस मुक्त भारत है। हटाओ किसी तरीके से, ...(व्यवधान) भाÂषण में को-ऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन रात को मीटिंग करके सरकार को हटा दो, ...(व्यवधान) अरूणाचल प्रदेश में रेस्टोरेंट में बैठकर हटा दो चुनी हुई सरकार को। यह है बीजेपी का मॉडल।...(व्यवधान) आज वित्त मंत्री जी ने रेफर किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वित्त मंत्री जी ने कम्पोजीशन ऑफ द हाउस को रेफर किया और उन्होंने एक प्रेस कांफ्रेंस में भी कहा कि कम्पोजीशन ऑफ द हाउस को अल्टर किया जा रहा है। वे किस पर ऊँगली उठा रहे हैं? वे थोड़ा साफ-साफ कहें। आज के हाई कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। हर कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, कांग्रेस सम्मान करती है। हाई कोर्ट ने लिखा है कि स्पीकर को डिसक्वालीफिकेशन की अथोरिटी है। अपहेल्ड करते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए यह काफी नहीं है। वित्त मंत्री जी, यह आपके स्टेटमेंट में तो नहीं है, लेकिन आपने प्रेस कांफ्रेंस में हॉर्स ट्रेडिंग और एल्योरमेंट के बारे में एक बार कहा था। इसलिए मैं वह बात इस सदन में उठाना चाहता हूँ। मैडम, हॉर्स ट्रेडिंग कब होता है? जब दो अलग-अलग दल के लोग मिलकर एक राजनीतिक षडयंत्र करते हैं। अगर दो दल मिल-जुलकर चुनी हुई सरकार के खिलाफ कुछ काम करते हैं तो हॉर्स ट्रेडिंग कौन कर रहा है, यह आपको पता चल गया है।...(व्यवधान)

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : स्टिंग ऑपरेशन में कौन था?...(व्यवधान) स्टिंग ऑपरेशन के बारे में भी बताइए। ...(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई: आज यह एप्रोप्रिएशन बिल आया है,...(व्यवधान) अभी मैंने एप्रोप्रिएशन बिल देखा है।...(व्यवधान) आप कोर्ट में जाइए, जो कोर्ट बोलेगा, हम उसका सम्मान करेंगे, लेकिन आपकी बातों को हम सब नहीं मानते। ...(व्यवधान) हम कोर्ट का सम्मान करते हैं।...(व्यवधान) आप ही जज, आप ही ज्यूरी, आप ही एग्जिक्यूशनर, ऐसी सरकार नहीं चल सकती। ...(व्यवधान) यह राजनीति नहीं है।...(व्यवधान) अगर आपको ऐसी राजनीति चाहिए तो यह हम भारत में नहीं होने देंगे। ...(व्यवधान) आज यहां पर लेजिस्लेटर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बहुत सहानुभूति दिखा रहे हैं उत्तराखण्ड के प्रति, लेकिन जब उत्तराखण्ड के जंगल में आग लगी, करोड़ों बीघे जमीन पर जब आग लगी, तब यह सरकार सो रही थी। ...(व्यवधान) सोशल मीडिया पर जब बात आई, तब आपकी सरकार जगी। ...(व्यवधान) कितने दिन के लिए सो रही थी। आप आज उत्तराखण्ड के लिए सहानुभूति दिखा रहे हैं।...(व्यवधान) 30 मार्च को आप यह आर्डिनेंस लाए और आज 9 मई है। इतने दिन क्यों रुके रहे आप? जरूर आपका ध्यान था कोर्ट की तरफ कि कोर्ट क्या कहेगा? आप 9 की संख्या की तरफ देख रहे हैं और मुझे लगता है कि उसी के कारण आज आप यहां इस स्तर पर पहुंचे हैं।...(व्यवधान) अगर आपको इतनी ही चिन्ता है,...(व्यवधान) जम्मू-कश्मीर में क्या हुआ, एक महीने तक वहां हमें यह पता नहीं चला कि कौन सी सरकार है। वहां मुख्यमंत्री कौन है, वित्तमंत्री कौन है, हमें नहीं पता चला। इसका क्या यह मतलब है कि केन्द्रीय मंत्री जम्मू-कश्मीर के लिए ऑर्डिनेंस पारित करेगा।

असम में 11 अप्रैल को वोटिंग खत्म हुई, एक महीने बाद अब रिजल्ट आने वाला है तो क्या इस एक महीने की अवधि के लिए केन्द्र सरकार ऑर्डिनेंस पारित करेगी? ...(व्यवधान) आप थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा संयम दिखाइए। ...(व्यवधान) निर्वाचन से जीतिए। निर्वाचन का रास्ता पकड़िए। अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं, निर्वाचन से जीतिए।...(व्यवधान) बीजेपी का जो मॉडल है, वह आज साफ-साफ लोगों के सामने आ गया है। एक ही मॉडल है- इस देश की चुनी हुई सरकार को डिस्टेबलाइज करना। ...(व्यवधान) आपका निशाना किस पर है? आपका निशाना है वे छोटे-छोटे राज्य, जहां आपको लगता है कि दिल्ली में बैठकर अरुणाचल प्रदेश में आप जो चाहेंगे, आपका अहंकार और आपकी मनमानी चल जाएगी। मणिपुर एक छोटा पहाड़ी राज्य है, वहां आप अपनी मनमानी चला लेंगे।..(व्यवधान) उत्तराखण्ड में आप अपनी मनमानी चला लेंगे।...(व्यवधान) हिमाचल प्रदेश में आप मनमानी चला लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। उत्तराखण्ड में वही होगा जो वहां के एक करोड़ लोग चाहते हैं, न कि रायसीना हिल में बैठने वाले लोग। ...(व्यवधान) आज क्या हो रहा है? यह सरकार आई थी विकास के मुद्दे पर। आज भारत में अनेक महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। सूखा है, प्राइस राइज है। आपकी ही लेबर मिनिस्ट्री से रिपोर्ट आती है कि जॉब्स घट रही हैं। अप्रैल से मार्च क्वार्टर में 43000 jobs lost. The last two years have reported the lowest addition to jobs in the history of the last five years. यह आपकी ही रिपोर्ट है। क्या ये महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं हैं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सूखा आज पश्चिम से दक्षिण भारत तक है। क्या ये महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं?...(व्यवधान)

पाकिस्तान से संबंधित हमारी विदेश नीति पर बहुत बड़ा प्रश्नचिह्न लग गया है, क्या यह महत्वूर्ण विÂषय नहीं है? आज टैक्सेस बढ़ रहे हैं, रेल का किराया बढ़ रहा है, लेकिन रेल टाइम पर नहीं चल रही है। इंडस्ट्री की हम बात करते हैं। आज इंडस्ट्री को एक स्टेबल पॉलिटिकल क्लाइमेंट चाहिए, लेकिन आप जिस प्रकार से इनस्टेबिल्टी क्रिएट कर रहे हैं, उसमें आप मेक इन इंडिया सपना पूरा नहीं होने वाला है। अरुणाचल प्रदेश में अगर इनस्टेबिल्टी रहेगी तो वहां कौन इंडस्ट्री जाएगी। अगर उत्तराखण्ड में इनस्टेबल पोलिटिकल क्लाइमेट रहेगी तो वहां कौन इंडस्ट्री लगाएगा? आपने बड़े आराम से कह दिया कि चार-पांच महीने के लिए एप्रोप्रिएशन बिल है, मतलब चार-पांच महीने के लिए सारे एफडीआई प्रोजेक्ट्स, सारे इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स स्थगित हैं। यह कांस्टीट्यूशनल क्राइसिस कौन लेकर आया? आप लेकर आए हैं। Deliberately, you are provoking a crisis in today's scenario. Deliberately you are killing democracy; you are chocking democracy. All you had to do was to wait for electoral exercise. Trust the people. They will lead to what Abraham Lincoln says: Democracy is the Government of the People, for the People and by the People. लेकिन आजकल यहां डेमोक्रेसी का मतलब बन गया है आरएसएस की सरकार, आरएसएस के लिए, आरएसएस से होगी और आरएसएस का एक सपना है कांग्रेस मुक्त भारत।

मैं अंत में एक बात ही कहना चाहूंगा कि जो लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, लेकिन दिल में कांग्रेस मुक्त भारत का सपना रखते हैं, मैं आज उनको एक ही बात कहना चाहता हुं, राम

प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था-

'सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,

देखना है जोर कितना बाजु-ए-कातिल में है।'

मैडम स्पीकर, आज हम उत्तराखण्ड की एक करोड़ आबादी के लिए इंसाफ मांगते हैं, जिन्होंने वर्ष 2012 में चुनी हुई सरकार बनाई। हम इंसाफ चाहते हैं लोकतंत्र के लिए, जिस लोकतंत्र के परिपेक्ष्य में निर्वाचन आज महत्वपूर्ण नहीं है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हम इंसाफ मांगते हैं भारत के उन युवाओं के लिए जो आइडलिस्ट होकर आपकी तरफ देख रहे हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, उसमें शामिल होना चाहते हैं, लेकिन आपने राजनीति में जिस प्रकार का माहौल बना दिया है, उसके कारण युवाओं का राजनीति से विश्वास उठ गया है। मैं इंसाफ मांगता हूं कि हर चुनी हुई सरकार जो बीजेपी की नहीं है, वे अपनी असेम्बली में बिल पारित कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में भय है कि रायसीना हिल में बैठे बड़े-बड़े नेता कहीं उन पर प्रहार तो नहीं करेंगे और प्रहार ही है।

आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट दिया है कि जो नौ एमएलए हैं, वे वोट नहीं कर पाएंगे। यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अभी आया है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम कोर्ट पर विश्वास करते हैं। यह सरकार ऐसा माहौल न बनाए जिससे कोर्ट के साथ कनफलिक्ट हो। चुनी हुई राज्य सरकारों के साथ इस तरह का माहौल न बनाए जहां कनफलिक्ट हो और खास कर के हाउस के स्पीकर पर, वह चाहे किसी भी दल का स्पीकर हो, चाहे वह आपके दल का हो, हमारे दल का हो या किसी भी दल का हो, उसकी अथॉरिटी को चैलेंज न किया जाए। This will set a very bad and dangerous precedent for Indian democracy. इसीलिए हमने पिछले हफ्ते लोकतंत्र बचाओ का आंदोलन किया था।

हम उत्तराखण्ड के विपक्षो आंदोलन से प्रेरणा लेते हैं और विपक्षो आंदोलन के कार्यकर्ताओं की तरह हम भी न ही कभी पीछे हटेंगे और न ही कभी अपना सिर झुगाएंगे।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): माननीय अध्यक्षा जी, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा उत्तराखण्ड के बजट से संबंधित जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम उस राज्य के बारे में आज यहां चर्चा कर रहे हैं जो विश्व गुरु भारत का भाल यानी माथा कहा जाता है। वह राज्य, जिसके बारे में गौरव जी कह रहे थे कि विपक्षो आंदोलन के प्रणेता, गौरा देवी जिन्होंने पूरी दुनिया को पर्यावरण और वन संरक्षण का संदेश दिया। यह राज्य पेशावर के महानायक वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली की जन्मस्थली है। यह वही राज्य है, जहां कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ। यह वही राज्य है, जहां महाकवि कालिदास का जन्म कविल्ठा कालीमठ में हुआ। यह वही राज्य है, जहां चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा, का जन्म हुआ। स्वर्ग से उतरकर जिस राज्य में मां गंगा पूरे विश्व के कल्याण के लिए प्रवाहित होती है, यह वही राज्य है। यह वही राज्य है जो आयुषो वेदः आयुर्वेदः यानी आयुर्वेद जो पूरी दुनियां के तन और मन की व्याधियों को ठीक करने के लिए है, उस आयुर्वेद के जन्मदाता ऋषि चरक का जन्मस्थली यह राज्य है। यह वही राज्य है जहां हिमालय है, जो पूरे एशिया का वॉटर टावर है। यह वही राज्य है, जो संस्कृत का जन्मदाता है, जिससे पूरी दुनिया की भाÂषाओं की उत्पति होती है। यह राज्य वेद, पुराणों और उपनिÂादों का जन्मदाता है, जिसने सारी दुनिया को दिशा दी। यह वही राज्य है जो पूरी दुनिया के तन और मन को ठीक करता है। यहां संजीवनी बूटियां भी हैं तो धर्म के लिए चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमनोत्री और गंगोत्री हैं और यहां हेमकुंड साहब जैसे धार्मिक स्थल भी है। मुझे कुछ बातें सुनकर बहुत दुख हो रहा था, मैं यह समझता हूं कि अध्यक्ष महोदया मूल विषय 18 मार्च, 2016 का है। 18 मार्च को उत्तराखंड की विधान सभा में विनियोग विधेयक पारित किया जा रहा था, उस दिन जो परिस्थितियां वहां घटित हुई हैं, वे दुनिया में किसी से छिपी नहीं हैं। मूल विषय यह है कि क्या वह विनियोग विधेयक पास हुआ या नहीं हुआ। सच तो यह था कि वह विनियोग विधेयक पास नहीं हुआ। सदन के पटल पर भारतीय जनता पार्टी के 27 सदस्यों ने और नौ कांग्रेस के बागी विधायकों ने खड़े होकर उसका विरोध किया, उसकी सी.डी. है, उसके प्रमाण हैं कि सदन में ही खड़े होकर कहा गया कि इस विनियोग विधेयक के खिलाफ हमने मत दिया है। जबकि उससे पहले राज्यपाल को सुबह 27 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने लिखित में दिया था कि हम विधान सभा में मत विभाजन की मांग कर रहे हैं, हमें अध्यक्ष पर भरोसा नहीं है, आप मत विभाजन कराइये। यह शंका पहले से थी कि उत्तराखंड की विधान सभा के अध्यक्ष उस सरकार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।

महोदया, मैंने खड़गे जी को भी सुना, मैं चुप रहा, मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने गौरव गोगोई जी को भी सुना, मैंने प्रोफेसर साहब सौगत राय जी को भी सुना। मैं यह सोचता हूं कि यदि वहां के बारे में जानकारी नहीं है तो केवल अखबारों की कटिंग्स को लेकर इतनी बड़ी चर्चा हो, एक सदन में संविधान की हत्या की जा रही हो, जिसके प्रमाण हैं और वहां पर 35-36 लोगों ने उस विधेयक के खिलाफ मत दिया और उस समय उसके पक्ष में केवल 32 लोग थे, यह किसी से छिपा नहीं है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि यदि एक भी सदस्य मत विभाजन की मांग करता है तो उस पर मत विभाजन किया जायेगा। फिर कौन सा कारण था कि मत विभाजन की मांग करने के बाद भी मत विभाजन नहीं कराया गया। मैं इसे तथ्यों के साथ पेश कर रहा हूं, मेरे पास ये प्रमाण हैं कि विधान सभा की कार्रवाई में यह लिखित है, वहां यह भी लिखित है कि मत विभाजन की मांग की गई, यह वहां की कार्रवाई में आया हुआ है। यदि कार्रवाई में यह आया कि मत विभाजन की मांग की गई तो सवाल खड़ा होता है कि अध्यक्ष जी ने मत विभाजन क्यों नहीं कराया?

महोदया, दूसरा सवाल यह उठता है कि जब सुबह ही राज्यपाल जी को लिखकर दे दिया था कि विधान सभा अध्यक्ष पर भरोसा नहीं है, आज विनियोग विधेयक पर भारतीय जनता पार्टी मत विभाजन चाहती है। राज्यपाल जी को सुबह लिखित में दिया, उसका भी उत्तर हमारे पास है, जो रिसीव कापी है। इसका मतलब जिस बात की चर्चा हो रही है, मुझे इस बात का अफसोस होता है और उसके बाद वे सारे 35-36 विधायक एक साथ सदन से उठकर जाते हैं और अविश्वास प्रस्ताव के लिए लिखित में विधान सभा सचिव को देते हैं कि यह विधेयक फेल हो गया, अध्यक्ष जी ने गलत किया, जबरदस्ती मत विभाजन नहीं किया। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव के लिए 35 विधायकों ने वही उसी समय विधान सभा सचिव को लिखकर दिया। यह सब लिखित में है। मैं 18 मार्च की बात कर रहा हूं, क्योंकि राजभवन में मैं भी उपस्थित था, जब ये सारे के सारे विधायक जिसमें 27 भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और 9 कांग्रेस के विधायक थे, जिन्होंने राज्यपाल जी को लिखित में दिया और राज्यपाल जी ने केवल वही पत्र नहीं, बल्कि वीडियोग्राफी करवाई और राज्यपाल जी ने यह भी कहा कि आप खड़े होकर यह भी कहें कि आप किस दल से हैं। जो कांग्रेस के नौ विधायक थे, उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के हैं, क्योंकि हमने इस धन विधेयक के खिलाफ मत दिया है, इस सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। यह कांग्रेस के विधायकों ने कहा है। उसके बाद भी यह चर्चा हो रही है कि वह पास हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद धारा 356 के बारे में चर्चा हो रही है। मूल विÂषय तो यह है। मैं गोगोई जी से कहना चाहता हूँ, उनको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ।

महोदया, जब मैं सन् 1991 में पहली बार उ.प्र. में विधायक बना, तब बहुत उत्साह था, लेकिन 6 दिसंबर, 1992 को, आदरणीय कालराज मिश्र जी यहां हैं, क्या कांग्रेस बता सकेगी कि चार सरकारें क्यों बर्खास्त हो गई थीं। 6 दिसंबर, 1992 को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। उनका क्या कसूर था, क्या आप जवाब दे सकते हैं? उन चार सरकारों का क्या कसूर था, जो उनको रातों-रात बर्खास्त कर दिया गया। यहां तो इतनी बड़ी घटना हो गई। इतनी बड़ी घटना होने के बाद, हम भी राÂष्ट्रपति जी के पास आए थे कि वहां संविधान की हत्या हो रही है, धन विधेयक गिर गया है, मुख्य मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए था। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, संवैधानिक संकट हुआ, मैं केंद्र सरकार का आभारी हूँ कि उन्होंने भी इन परिस्थितियों को देखा और महामहिम राÂष्ट्रपति जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने संविधान की मर्यादा को बचाया। संविधान के उस संकट को राÂष्ट्रपति शासन लगा कर के ऐसी सरकार जो लोकतंत्र की हत्या कर रही थी, उसको बर्खास्त किया।

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस क्या यह जवाब देगी कि जो श्री मधु कौड़ा, केवल एक निर्दलीय सदस्य के लिए आपने सरकार को क्यों बर्खास्त कर दिया। श्री मधु कौड़ा के बारे में मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता। आपने ऐसा क्यों किया, यह सारी दुनिया जानती है।

क्या आप बता सकते हैं कि आपने श्री अर्जुन मुंडा की सरकार को दो-दो बार क्यों बर्खास्त कर दिया। मैं इस पर ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उत्तराखण्ड पर भी बोलना है। लेकिन मैं यदि बोलूंगा तो इतिहास है कांग्रेस का कि धारा 356 का किस सीमा तक कांग्रेस ने दुरुपयोग किया है। कांग्रेस को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

अध्यक्षा जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम छोटे राज्यों के पक्षधर रहे हैं। यह जो राज्य बना, जिसके बारे में कहा जा रहा है, गोगोई साहब कह रहे थे कि वहां के लोगों ने कांग्रेस को चाहा। कांग्रेस को लोगों ने कभी नहीं चाहा। पचास साल से उत्तराखण्ड की जनता चिल्लाती रही कि हमको अलग राज्य दीजिए। हम अलग राज्य केवल इसलिए नहीं मांग रहे थे कि कुछ लोग एमएलए बन जाएं, मंत्री बन जाएं, सिर्फ इसलिए ही नहीं चाहते थे। राजनैतिक आकांक्षाओं के लिए हम राज्य नहीं चाहते थे। हमको मालूम है कि उत्तराखण्ड भारत के हिमालय का माथा है, वह देश की पूंजी है, पूरी दुनिया

की धरोहर है, हम उस माथे को सशक्त और सबल करने के लिए अलग राज्य चाहते थे। लेकिन कौन भूल जाएगा खटीमा कांड को, कौन भूल जाएगा रामपुर तिराहे कांड को, कौन भूल जाएगा मसूरी कांड को। रामपुर तिराहे पर मेरी माँ-बहनों का किस सीमा तक अपमान हुआ। मेरे बेगुनाह नवयुवकों का कत्लेआम हुआ, खून की नदियां बहा दी गई। कांग्रेस ने क्या किया? इसलिए मैं ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहता हू और खटीमा कांड जैसे कांड, जिनको याद कर के सिहरन पैदा हो जाती हो, ऐसे कांड हुए हैं। पचास साल तक आपने हमें हमारा अधिकार नहीं दिया। उस राज्य से औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती हो कर राÂष्ट्र की सीमा पर अपनी कुर्बानी देता है और दूसरी पंक्ति में उस राज्य की माँ और बहनें दो-दो विदेशी सीमाओं पर खड़ी हो कर सेनानी की तरह राÂष्ट्रभक्ति का अनन्य प्रमाण देती हैं। यह है वह राज्य। हम पर्यावरण की पहली पाठशाला हैं। देश को वायु भी देते हैं, प्राणवायु भी देते हैं, पानी भी देते हैं तो जवानी भी देते हैं। हम अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। आज भी 70 प्रतिशत वनक्षेत्र वहां पर है। राजाजी नैशनल पार्क हो, चाहे जितने भी नैशनल पार्क हैं, वहां की अरबों-खरबों रूपये की संपत्ति पर हम हाथ भी नहीं लगाते हैं। देश के पर्यावरण की रक्षा के लिए ऑविसजन देने के लिए हम कुर्बानी देते हैं। हमने कभी भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उस राज्य के बारे में बोला जाए, जिस राज्य को आजादी की 50 साल तक कांग्रेस ने नोंच-नोंच कर खाया। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को मैं याद करना चाहता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ।

यदि विÂषम और विपरीत परिस्थितियों में उत्तराखंड का कोई हिमालय का सपूत निकला तो अटल बिहारी वाजपेयी निकले, जिन्होंने हमें हमारा सम्मान दिया, जिन्होंने हमें हमारा राज्य दिया, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, मैं एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने न केवल राज्य दिया, बल्कि विशेÂा राज्य का दर्जा दिया और औद्योगिक पैकेज उस समय दिया, जब कांग्रेस की सरकार थी। वर्ष 2002 में औद्योगिक पैकेज दिया और वर्ष 2013 तक दस साल के लिए दिया, लेकिन वर्ष 2007 में कांग्रेस ने हमारा वह पैकेज छीन लिया। 56 हजार करोड़ रूपए का निवेश होना था, 5 लाख नौजवानों को नौकरी मिलनी थी, 5 लाख परिवारों पर तुÂषारापात किया गया। इस बात को कौन भूल जाएगा? हम गिड़गिड़ाते रहे। मैं मुख्यमंत्री था।...(व्यवधान) मैं और शान्ता कुमार जी दोनों गिड़गिड़ाते रहे। कभी वित्त मंत्री जी के पास जाते, कभी प्रधान मंत्री जी के पास जाते, हमने कहा कि हमको कुछ नया मत दीजिए, हमारे साथ अत्याचार और अन्याय मत कीजिए, बल्कि प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी से तो तब हमने यह तक कहा था कि साहब यह देश पर पहला ऐसा दाग लग जाएगा, दिए हुए किसी पिछड़े स्टेट से, वह भी देशभक्त और वीरों के स्टेट से जो राष्ट्र के लिए अर्पित है, वहाँ से आप उसकी सुविधाओं को छीन रहे हैं। इस तरह से देश के इतिहास में पहली बार हुआ था। कांग्रेस को कुछ कहने का क्या हक है और अभी भी आप वर्चा कर रहे हैं।

महोदया, मैं यह कह रहा हूँ कि वहाँ पर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक स्टिंग आए हैं। मुख्यमंत्री के सचिव, जो इसी सदन में मैंने खड़े होकर के कहा था, मुख्यमंत्री के सचिव का पहला स्टिंग आपरेशन आया, जिसमें वह 20 करोड़ रूपए का लेन-देन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से बात हो गई है।...(व्यवधान) हमने कहा कि यदि ये कहते हैं कि यह गलत है तो सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए।...(व्यवधान) सच को सुनने का माद्दा होना चाहिए।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदया, यह क्या हो रहा है?...(व्यवधान) जो आदमी इस सदन का सदस्य नहीं है, उसका नाम क्यों लिया जा रहा है?...(व्यवधान) मनी पावर, पैसे लेकर तुम लोग आए थे।...(व्यवधान) He is not a Member of this House. ...(व्यवधान) Are you allowing them to take up issues of the State here, Madam?

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात जारी रखें। आप बोलिए।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : अभी तो एक ही स्टिंग की बात हो रही है।...(व्यवधान) अभी तो यह शुरूआत हो रही है।...(व्यवधान) अभी तो एक ही स्टिंग की बात हो रही है।...(व्यवधान) जब दूसरा स्टिंग हुआ।...(व्यवधान) महोदया, दूसरे स्टिंग की भी बात सुनिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बोलेंगे ना।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : केवल रमेश पोखरियाल जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी।

...(*Interruptions*)â€¦ *

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: महोदया, अभी तो पहले स्टिंग पर ही इतना हो-हल्ला मचा है, अभी तो दूसरा, तीसरा और चौथा स्टिंग भी है।...(व्यवधान) अब मैं क्या करूँ, जो हो गया, उस पर तो मुझे बोलना पड़ेगा। आखिर यह भारत के लोकतंत्र का सर्वोच्च मन्दिर है और यदि यहाँ नहीं कहा जाएगा तो हम चौराहों पर तो नहीं कह सकते। पहले स्टिंग पर हमने यह कहा था कि यदि यह Â षड़यंत्र हुआ है तो सीबीआई की इंक्वायरी करवा दीजिए। हम भी नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ षड़यंत्र हो और वह भी उस अकलुषित राज्य में हो, जिसे देव भूमि कहा जाता है।...(व्यवधान) लेकिन हिम्मत नहीं हुई।...(व्यवधान) उसके बाद जो दूसरा स्टिंग आया, जब यह बगावत हो गई, सरकार गिर गई, सरकार गिरने के बाद जो दूसरा स्टिंग आया, आज उस पर सीबीआई की इंक्वायरी शुरू हो गई। दूसरे स्टिंग में क्या बोलते हैं, ""पाँच-पाँच करोड़ रूपए तो हैं, लेकिन तुम आ जाओ, हम मुँह मोड़ लेंगे, तुम्हें जो करना हो तुम कर लो।"" आप किसी राज्य के मुखिया हैं, क्या आप राज्य को लुटवाते रहेंगे, आप केवल अपनी कुर्सी के लिए मुँह मोड़ लें और आप कहें कि आप जो चाहे करें, राज्य को जितना चाहे लूटें।...(व्यवधान) इससे ज्यादा दुःखद कुछ नहीं हो सकता है।...(व्यवधान) आज सीबीआई ने उसमें इंक्वायरी शुरू कर दी है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि कल ही एक और आया,स्टिंग जिसमें M.L.A. कह रहे हैं â€¦ * सी.एम. ने 27 करोड़ रूपए तो खनन से लिए हैं और किस-किससे लिए हैं, यह भी कहा है।...(व्यवधान) यह भी कहा है कि â€¦ *50-50, 25-25 लाख दिया और उन्होंने उनके नाम तक बताए हैं।

17.00 hours

मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह कांग्रेस उस अकलुषित राज्य को लूट रही है जो देश का सिरमौर है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि उसको लुटने मत दीजिए। वह अच्छा राज्य है, देश की धरोहर है, दुनिया के लिए धरोहर है। वहाँ के लोग भी दुनिया के लिए धरोहर हैं। बछेन्द्री पाल दुनिया की पहली महिला है जिसने एवरेस्ट को फतेह किया है। आज चाहे धोनी हों या जसपाल राणा हों, उन्होंने देश ही नहीं, दुनिया में भारत के गौरव को बढ़ाया है। यदि समय अधिक रहता तो मैं बताता कि हमारे उत्तराखंड राज्य ने कैसे रत्नों को पैदा किया है।

अध्यक्ष जी, अभी प्रो. सौगत राय जी ने जो कहा, मैं उस संबंध में कहना चाहता हूँ कि जो घटना घट चुकी है, सदन के पटल पर उसके सारे साक्ष्य और प्रमाण हैं कि वह विधेयक पास ही नहीं हुआ। जब यह घटना हो रही है कि विधेयक पास नहीं हुआ और जब विधान सभा के अध्यक्ष की आलोचना हो रही है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि यह 356 इसलिए बना होगा, भारत के संविधान निर्माताओं को इतनी तो समझ थी कि कभी भविÂष्य में उत्तराखंड जैसी विधान सभा के अध्यक्ष भी हो सकते हैं जो आँख बंद करके एकतरफा निर्णय दे दें । इसलिए यह 356 का दुरुपयोग नहीं हुआ। मैं राÂष्ट्रपति जी का अभिनन्दन करना चाहता हूँ कि यदि कहीं 356 का सही उपयोग हुआ तो उत्तराखंड की धरती पर हुआ। उस सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति का शासन लगा है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, जो लेखानुदान आया है, मैं उसका अभिनन्दन करना चाहता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो कल्याणकारी योजनाएँ थीं, वह चालू रहनी चाहिए। हमने 108 जैसी योजना चलाई। सारे विश्व में रिकार्ड तोड़ा। जिसकी जेब में एक लाल पैसा भी नहीं होगा, यदि उसका बेटा, पत्नी या भाई प्राणों के संकट से जूझ रहा हो तो वह 108 नंबर घुमाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपातकालीन सेवा मिनटों के हिसाब से उसके घर पहुँचकर उसकी रक्षा करती है। ऐसी 108 जैसी सुविधा हमने उस राज्य को दी जिसमें साढ़े तीन लाख से से भी अधिक माँ और बहनों की प्रसूति के समय उसने जान बचाई। लगभग 2 लाख लोगों की सड़क एक्सीडैंट्स में जान बचाई। जो दुनिया में अभिनव प्रयोग हुआ कि चलती हुई एंबुलैन्स में लगभग 5000 बच्चों ने जन्म लिया, ऐसा शायद दुनिया में पहली बार हुआ होगा। ऐसी 108 जैसी योजना आज वहाँ दम तोड़ रही है।

हमने वहाँ अटल खाद्यान्न योजना चलाई कि उस राज्य में कोई भूखे पेट न सोए। इसलिए गरीब को दो रुपये किलो गेहूँ और तीन रुपये किलो चावल हमने उनको दिये और 100 रुपये में कोई भी गरीब पूरे महीने भर का राशन अपने घर पर रख सकता है। ऐसी व्यवस्था हमने की।

अध्यक्षा जी, यदि कोई गरीब अपना सपना साकार कर सकता है कि उसके घर पर उसकी बेटी या बेटा हीरे के रूप में पैदा हो रहा है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है तो वह भी डाक्टर बन सकता है, वह भी इंजीनियर बन सकता है। श्रीनगर का मैडिकल कालेज, हल्द्वानी का मैडिकल कालेज हमने शुरू किये। केवल 15000 में एम.बी.बी.एस. डाक्टर बनाने का अभियान हमने शुरू किया।

गौरा देवी धन कल्याण योजना हो या नन्दा देवी धन कल्याण योजना हो, बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तीकरण का विÂषय हो या गरीब का विÂषय हो या किसान का विÂषय हो, जब हमारी सरकार 2010 में थी तो देश में सर्वाधिक गन्ना किसानों का भुगतान हमने किया, सर्वाधिक मूल्य हमने दिया। छात्रों के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, हमने आयुÂष प्रदेश बनाया। हमने संजीवनी बूटियों का बोर्ड बनाया। पूरी दुनिया के लिए वह आयुर्वेद एक वरदान के रूप में हमारे पास है। हमने इस वर्ष गंगा अभियान चलाया। गंगा और उससे संबंधित जितनी भी जलधाराएँ हैं, उनके संरक्षण और संवर्द्धन का उसमें ध्यान रखा।

मैं प्रधान मंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने 'नमामि गंगे' नाम से 22 हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति से एक बहुत बड़ा अभियान आगे बढ़ाया। मैं नितिन गडकरी जी का भी आभारी हूँ कि चारधाम योजना जिसको देखने के लिए केवल देश नहीं, पूरी दुनिया के लोग आते हैं, उस चार धाम योजना के लिए 12000 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है जिससे सारे रास्ते सशक्त होंगे।

मैं केन्द्र सरकार का आभारी हूं कि उन्होंने केदारनाथ जैसी आपदा में पूरी मदद की और आज भी सहयोग के लिए तैयार हैं। मैं वन मंत्री जी का आभारी हूं, मैं वित्त मंत्री जी का आभारी हूं, जिन्होंने हिमालय के लिए एक ऐसे विश्वविद्यालय की परिकल्पना की है, जो हिमालय विश्वविद्यालय सारी दुनिया में एक प्रेरणा का केन्द्र बनेगा। जो ऐसी योजनाएं हैं, जैसे जैव विविधता का प्रदेश है, वह शिक्षा का प्रदेश है, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने हिमनद प्राधिकरण बनाया था, आज पूरी दुनियां जिससे चिन्तित है, हिमालय के ग्लेशियर पीछे जा रहे हैं, पिघल रहे हैं, इससे पूरी दुनिया संकट में आएगी। उत्तराखण्ड में हमारी सरकार ने 2010 में हिमनद प्राधिकरण बनाया था, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। हिमालय की रक्षा की जरूरत है, वहां की जैव विविधता के संरक्षण की जरूरत है। वहां पर वन और पर्यावरण को बचाने की जरूरत है। वहां पर जैव विविधता ही नहीं है, वन्य जन्तु संरक्षण अधिनियम, 1980 का यदि पालन किया तो हमने किया। सर्वाधिक यदि शेर और बाघ पाये जाते हैं तो उत्तराखण्ड की धरती पर उनका संरक्षण हुआ, लेकिन वहां के लोगों का पलायन कैसे रुक सके, इसके लिए बहुत जरूरी है कि वहां महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई जाएं, ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात कहिये। Do not answer anybody.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: मुझे तो राÂष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया था। यह चिन्ता आपसे पूछकर नहीं की होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, मेरी पार्टी मुझे जहां खड़ा कर देगी, वहां सेनानी की तरह उसका प्रमाण देने का काम मेरा है। इनको मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बना था, उस दिन भी मुझे पता नहीं था कि मुख्यमंत्री बन रहा हूं। जिस दिन मुझे उत्तर प्रदेश में दो-दो बार कैबिनेट मंत्री बनाया गया तब भी मुझे पता नहीं था, मैं नंगे पांव गांव से आया हूं, मैं माली का बेटा हूं और उस माली के बेटे को यदि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मेरी पार्टी ने एक बार नहीं, दो-दो बार कैबिनेट मंत्री बनाया हो, यंग एज में मैं मुख्यमंत्री भी बना हूं, राÂष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना हूं, लेकिन यह सब आपसे पूछकर नहीं बनाया।...(व्यवधान) इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह भी कांग्रेस के षड़यंत्र थे, मेरे खिलाफ एक-एक नहीं, चार-चार आयोग बिठाये गये। इतना कुप्रचार किया गया, मैंने चुनौती पर चुनौती दी, आज तक कोई खड़ा होकर सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता है। कांग्रेस के कुप्रचारों का शिकार मैं भी हूं, मैं जानता हूं कि कितना कुप्रचार करते हैं। मैं प्रमाणों के साथ कह सकता हूं और इसलिए पीछे न जाकर के मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा राज्य उत्तराखण्ड है, हमने जिसे विज़न 2020 दिया, बहुत सुन्दर राज्य है।

योजना आयोग का यह प्रमाण है, योजना आयोग की यह बुकलेट इस बात को साबित करती है कि जब-जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आती हैं, विकास की गंगा बहती है। यह प्लानिंग कमीशन का है, जब राज्य बनने से पहले से लेकर आज तक चाहे जी.डी.पी. में हो, चाहे एन.एस.डी.पी. में हो, चाहे कृÂिष में हो, चाहे जिस क्षेत्र में भी हो, चाहे सर्विस सैक्टर में हो, राज्य बनने से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही उत्तराखण्ड राज्य शिखर पर रहा है, यह इसका प्रमाण है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जंगलों की आग की बात हुई। मैं तो केन्द्र सरकार का आभारी हूं, दो दिन पहले तक किसकी सरकार थी कांग्रेस की। कांग्रेस सरकार का इतना कुप्रबन्धन था कि जंगलों में आग लग रही है, कोई प्रबन्धन नहीं। मैं केन्द्र सरकार का आभारी हूं कि तत्काल उन्होंने वायुसेना, थल सेना, एन.डी.आर.एफ. को भेजा, तब जाकर हम उत्तराखण्ड को बचा सके हैं। ये बता सकेंगे, आपका प्रबन्धन क्या था? दो दिन पहले तक तो वहां पर आप थे। मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि उत्तराखण्ड में अस्थिरता के लिए कोई एकमात्र दोÂषी है तो कांग्रेस है और कांग्रेस की सरकार है। यदि कोई संवैधानिक संकट के लिए कोई दोषी है तो आप हैं, आप अपने घर को तो बचा नहीं सके और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं, आरोप हमारे प्रधानमंत्री पर लगाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जिनके घर शीशे के होते हैं, उनको दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। अपने कुनबे को संभालिए, आपके वे 9-9 लोग बच्चे नहीं थे। एक इनके पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और â€¦* सांसद भी रहे हैं और दूसरे â€¦* कैबिनेट मंत्री पहले से ही रहे हैं।...(व्यवधान) मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने ही तो सदन में कांग्रेस सरकार का विरोध किया? मैं यह कह रहा हूं कि यदि उन्होंने किया तो वे तो आपके परिवार के थे, यदि वे इस बात से सहमत थे कि कांग्रेस की सरकार भ्रÂष्टाचार में आकंठ डूबी है तो यह तो उनके परिवार ने महसूस किया और वे वहां से हटे हैं और कह करके हटे हैं।

अध्यक्षा जी, चाहे ऊर्जा की दिशा में या बेहतर सेवाओं की दिशा में '108' हो, चाहे सचल चिकित्सालय का विÂषय हो, चाहे पन्द्रह हजार रुपए में एम.बी.बी.एस. डॉक्टर बनाने का अभियान हो, चाहे स्पर्श गंगा का अभियान हो, मैं वित्त मंत्री जी के प्रति आभारी हूं। आपने अर्द्धकुम्भ में भी 100 करोड़ रुपए दिए, इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूं।

अध्यक्षा जी, उत्तराखण्ड की धरती पर महाकुम्भ ऐसा था कि इसरो ने अपने सारे उपग्रहों को छोड़कर अन्त में जो रिपोर्ट दी, वह यह थी कि दिनांक 14 अप्रैल, 2010 का आयोजन धरती के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आयोजन था। उसे पूरी दुनिया ने सराहा। वह नोबल पुरस्कार के लिए नामित हुआ। मैं पूरे देश और दुनिया के लोगों का उस दिशा में आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने उसमें बहुत मदद की।

अध्यक्षा जी, हमने बहुत सारी अनुपम पहलें की हैं। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार जो यह बजट पास कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने वर्ष 2010 में या उससे पहले जो कल्याणकारी योजनाएं शुरू कीं, वह जारी रहनी चाहिए।

अध्यक्षा जी, दुनिया में यह पहला उदाहरण है कि वहां 12,500 वन पंचायतें हैं। डेढ़ लाख महिलाएं और नौजवान अपने प्राणों को हथेली पर रख कर वनों की रक्षा करते हैं, वनों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं। दुनिया में ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिल सकता। वन और पर्यावरण के क्षेत्र में उन्हें और सशक्त किया जाना चाहिए। कृषि की दिशा में यदि उन्हें जड़ी-बूटी की खेती से जोड़ेंगे तो हमारा पलायन रूकेगा क्योंकि आयुर्वेद के प्रति लोगों का रूझान बढ़ रहा है।

तीर्थाटन और पर्यटन के क्षेत्र में, उत्तराखण्ड में जो हमारा 'धरती का स्वर्ग' है, यह अभियान है, उत्तराखण्ड में दसियों स्विट्ज़रलैंड समाए हैं, उस अभियान को वहां आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

सैनिक कल्याण की दिशा में हमने बहुत अभिनव काम किए। वह सैनिकों का प्रदेश है। इसलिए भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण की दिशा में हमने एक ब्लॉक में एक व्यक्ति को नियुक्त किया था। कैंटीन में जितनी भी सामग्री होती है, उस पर उन्हें जो टैक्स लगता था, उससे हमने उन्हें छूट दी थी। बहुत सारे भूतपूर्व सैनिकों को सेवा में समायोजित किया था। इस समय मैं केन्द्र सरकार का अत्यंत आभारी हूं कि उसने 'वन-रैंक-वन-पेंशन' का काम करके सैनिकों का सम्मान किया।

हमने जो उस दिशा में 'आयुÂष गांव' के अभियान को आगे बढ़ाया था, वे अभी जहां के तहां खड़े हैं। हमने संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाÂषा बनाया था। संस्कृत के गांवों को स्थापित किया था। शिक्षा के क्षेत्र में नए-नए अभिनव प्रयोग किए थे। 'धरती की उड़ान' और 'मुस्कान' जैसी योजनाओं को किया था।

अध्यक्षा जी, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं इस अनुरोध के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि हमारा जो 'विजन- 2020' था, उसमें हमने पांच महत्वपूर्ण सूत्र लिए थे - 'समृद्ध उत्तराखण्ड', 'शिक्षित उत्तराखण्ड', 'स्वस्थ उत्तराखण्ड', 'सुसंस्कृत उत्तराखण्ड' और 'हरित उत्तराखण्ड।' ये पांच सूत्रों पर आधारित जो हमारा 'विजन- 2020' था, उस विजन ने योजना आयोग में इसके सर्वाधिक प्रमाण दिए हैं कि हम ही देश में दूसरे और तीसरे नम्बर के राज्य बन गए थे। इसलिए वह जो हमारा 'विजन- 2020' है, उसे लागू किया जाए।

मैं एक बार फिर वित्त मंत्री जी के प्रति आभारी हूं कि उन्होंने इस बिल को यहां पर रखा और इस बिल का समर्थन करते हुए हम सहÂर्ष उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Hon. Speaker Madam, I rise to speak on the general discussion on Uttarakhand Budget. Rs 13,642 crore have been proposed to be withdrawn from the Consolidated Fund of India to meet the expenditure of Uttarakhand. The Finance minister has earlier described from his point of view the necessity of withdrawing this money in order to keep the administration running. I will speak on that later.

Madam, let me make my point of view absolutely clear in case there is any confusion. Our party All India Trinamool Congress is equally distant from Congress-CPM combine and the BJP. As a regional party, we are opposed to President's rule under Article 356 being imposed anywhere in any State because it is an overriding of the powers. We feel that the drama in Uttarakhand has been a sordid drama which is a shame to Indian democracy. As I will state later in detail, both sides have to be blamed. This side says that when you were there, you applied Article 356 in such and such case. That side will say that you have wrongly imposed Article 356 now. I feel there is no change in the attitude.

I had expected the present Government to concentrate on development, which they had promised, but they have indulged in solid horse-trading which is unfortunate. I am reminded of a small couplet:

" पंछी जो उड़ता है, चमन बदल गया, हंसते हैं सितारे तो गगन बदल गया,

शमशान की खामोशी बता रही है कि लाश वही है, सिर्फ कफन बदल गया। "

There has been no change. It is going on in the same line. But this should not have been the case because Uttarakhand was formed amidst much hope. The people there had gone for a long agitation demanding a separate hill state. So, when it was granted, there was great hope for one crore people. Uttarakhand is one of the most beautiful places in the world. You have got the Garhwal and Kumaon in Himalayas; you have got the beautiful rivers like Ganga, Yamuna and Mandakini. From Haridwar, as you go up slowly to Rishikesh, Rudraprayag, Devaprayag, Uttarkashi and on to the Chardham, you find nature at its most beautiful! Uttarkhand is also our border with China along the east and is very vital. Uttarakhand has immense potential in terms of tourism, in terms of timber, and in terms of hydro-electricity. It was expected that the State would progress but while the State is rich in natural resources the people are poor. If you go to any of the hill villages, there are no roads. They trudge through very difficult terrain to reach the main road. There is lack of water and sanitation in many of the hill villages. In the 15-odd years that Uttarakhand has been a States, development has not taken place. Compared to that, if you go to Darjeeling in West Bengal, you will how the face of Darjeeling has changed in the last five year. Uttarakhand could have proceeded in the same way.

Unfortunately, we are involved in a political game of one-upmanship in the State. What are the basic facts? A Congress Government was there; nine Congress MLAs were supposed to have defected from the Party. The Budget was placed before the Assembly. The Speaker said that the Budget was passed a voice vote, which was disputed by many people. One day before the floor test was to take place, the Government imposed President's rule on Uttarakhand. The former Uttarakhand Chief Minister went to the High Court. The High Court ruled the imposition of President's rule as unconstitutional. The Centre went in appeal to the Supreme Court. The Supreme Court has not given its final view in the matter yet. But on the question of disqualification of nine MLAs, the Uttarakhand High Court has said that the Speaker was within his right to have suspended those MLAs.

The Supreme Court just today hearing around 3.40 p.m. had given a ruling that it is upholding the verdict of the Uttarakhand High Court. Tomorrow, the floor test would be held and that too in a peculiar situation where the Speaker would not be sitting in the Chair. The Secretary of the Assembly has been asked to sit for the Chair and they are not having a floor test in the sense of pressing the buttons. From what I read, Division will be taken in the lobby and heads will be counted.

Now is it something that was desirable in Uttarakhand? If the BJP was to entertain defectors from the Congress to form a Government, they could have done it in a nice way or forced a situation where you would go for a fresh elections but manipulation has been used to form a Government which is unfortunate. It is an act of unsettling a settled-government. This is not desirable in the country.

I think somebody in the Central Government has botched it. I read in the papers that Jaitleyji was away in Australia for a few days during that time. He is the Principal Legal eagle for the Government. So maybe his advice was not taken properly.

I just want to read from the judgement of the Supreme Court because today the important question has been raised about the role of the Speaker in any dispute. Member after Member is saying that Uttarakhand Speaker was wrong. He passed a budget which ought not to have been passed. But let us see what Justice Dipak Mishra and Justice Shiva Kirti Singh of the Supreme Court said:

> "The Speaker is the master of the House. Whether a Bill has been passed or not can the Central Government or the President go into it? What was the number of MLAs voting for this side or the other side is also for the Speaker to decide. How can somebody else get into the business of the House? It is a million dollar question and you could have taken it as a ground for invoking article 356. Here is a situation where one side says that the Bill has been passed but the other side refutes."

The two Supreme Court judges upheld the supremacy of the Speaker in any matter concerning the House. The Bench again observed:

> "Article 356 is a rare phenomenon. If a Government is in a minority, floor test has to happen as a natural corollary. Ultimately, if we sustain the President's Rule, then also floor test will have to happen."

They are obviously referring to the judgment in the Bommai case which said that only floor test could finalise this matter. The Attorney-General, Shri Mukul Rohatgi, who was appearing for the Centre said that after the Appropriation Bill failed to be passed in the Assembly, the inference was that the Government had lost the majority. The Bench overruled the AG. The Bench said that the Speaker maintained that the Bill was passed. The Attorney-General said that the actions of the Speaker could not remain outside the purview of judicial review. He said that a sting operation showing the Chief Minister, Shri Harish Rawat, etc. was also relevant material for imposing President's Rule. He contended that the Bill was not sent to the Governor for almost ten days.

Now the point to which I am coming is that the imposition of President's Rule was wrong. In Uttarakhand case the speciality is that the Governor did not recommend the President's Rule. Yes, article 356 does say that on the recommendations of the Government or otherwise and the Government in Delhi had taken advantage of that and imposed President's Rule.

I would urge that, after tomorrow's floor test is done, democratically elected Government should be imposed there at the earliest. The Finance Minister earlier said that it was essential incumbent on the Central Government to have the Appropriation Bill passed. I feel that there was no such

hurry. If the test was taking place tomorrow, then maybe a Government would come out and they would pass the Budget in their Assembly. What was the hurry in getting the Appropriation Bill passed in this House?

Ultimately, a Speaker may be good or bad but as far as matters regarding the House are concerned, in this House, you are the supreme authority. What you will say is law to all of us. To lead to a situation where you will deny the Speaker's recommendation, criticize it and give it as a ground for President's Rule is wrong.

Shri Jaitley argued that the President can consider whether the Speaker is right or wrong. I do not think that the President has that right under our Constitution. I think the argument of the Government in this matter is fallacious.

Let tomorrow be over, Madam. Those nine MLAs have been disqualified. Tomorrow, let the floor test take place. Let the Government of India assure this House that popular Government would be restored in Uttarakhand at the earlier. The most beautiful, the most holy and the most pristine State in the country would be on the way of development. People there would not be concerned with the politicians but they would be concerned with whether their lives are changing as they should.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Madam Speaker, I rise to speak on the Uttarakhand Appropriation (Vote on Account) Bill, 2016 and I wish to thank you for giving me time to talk on this Bill.

Long back, when many of us in this House were not even born, in 1951 when the Patiala Government, for the first time, saw promulgation of Article 356, the Congress was in power at that time.

At the outset, I would categorically put it on record very clearly that all these are regressive and bad precedents that we are setting.

As a representative of an established regional party, I oppose this imposition of Article 356 which in turn has resulted in this Appropriation Bill being brought into this House.

India is in a situation where both the BJP-led NDA and the Congress-led UPA seem to be in the same boat and both seem to be repeating each other. I would not like to get into the details of Uttarakhand *per se* as a State. Many of my learned friends speaking before me have discussed it from beauty to economic development being stopped to many aspects of that State. What really bothers me is, what is it that people expect from us and are we really living up to what people want from us. None of us, those who are steeped in political history, can every forget how, from 1951 till Kerala and from Kerala onwards, the Congress Government during Indira Gandhi's time, at will, went on misusing – not using – Article 356 and demolishing one after the other democratically-elected Governments in different States of the country.

Then came 1977 when the late Chaudhry Charan Singh became the Home Minister and the Deputy Prime Minister, a lot of hope was pinned on the Janata Party at that time in which the BJP and all of us were party to the formation because it was heralded as a change from the age-old corrupt Congress Government to the Government of the people. But we failed the people so miserably that we were promptly, all of us including the BJP, were kicked out of power and in 1980 a role reversal happened. Like Chaudhry Charan Singh had demolished all the State Governments, nine State Governments, similarly when Mrs. Gandhi and her late son, the younger son, came to power, they took no time and demolished the State Governments using this same very constitutional piece of paper. I do not believe the Constitution is a living being. I believe it is a piece of paper. It is to be used for the interest of the people. It is not to be misused for our personal and political goals.

The late Mrs. Gandhi – the original one – again kicked out those same State Governments which, let us remember, had come to power by the power of the vote of the people. This indicates that neither the group which Chaudhry Charan Singh represented in which all of us were parties nor the group that the late Mrs. Indira Gandhi represented respected the wishes of the people. Nobody respected the wishes of the people. We disregarded the people then and we are disregarding them today.

We have heard about cooperative federalism from this Government. All of us were very happy that may be a new chapter is being tried out, a new chapter in which a healthier democracy which has its ears to the ground, which has concerns for the poverty-stricken poor people, which will actually listen and abide by their wishes. We thought this new chapter would be good. We in a way fought the BJP. The candidate who lost to me, who came second, was also of the BJP. But yet we wish them well, not as a political party, not because they will win and fight against each one of us, but we wish them well in the greater interest of the country. Now, that they have got an opportunity after ten long years, one whole decade of the beginning of the 21st Century, in which this country had had such a miserable time – one whole decade was destroyed and wasted – we all hoped that a new chapter would begin. ...(*Interruptions*)

I am not getting into the nitty-gritty of Uttarakhand. Uttarakhand is just a faÃ§ade. Uttarakhand, to me, signifies one milestone in a long road of democracy in which this country intends to mature and it is still maturing. We are not yet a fully matured democracy. These are all milestones. All of us are learning. All of us are students. All of us are toddlers in this great process, that we call democracy.

So, this cooperative federalism has become a doubtful slogan now, a slogan that is intended for use when it is convenient. What the BJP-led NDA Government has done till now starting from Arunachal Pradesh to Uttarakhand is not only anti-democratic and anti-federalism but also a very sad thing because all of us, the people of India, pin a lot of hope on Narendra Damodar Das Modi ji and his Government. We expect that something new shall turn up. But alas! It is a sad thing there is no effort also. I am not talking about success or failure. That is something that only Allah will decide.

But when these people have been rejected, Congress has been rejected because of their misdeeds, people have a lot of hope on these people. If States are disturbed this way, this reminds us of Indira Gandhi's days when article 356 was misused. I am reminded of what a great leader of our time, Shri L.K. Advani *ji* has said very recently. He said in an interview that a situation is being built where it seems that imposition of Emergency might be a possibility. Sadly, no body from the ruling clique thought it fit to contradict him. So, it was kind of accepted.

This is a bad time for that particular State, there was a cloudburst last night; there is no Government. Like the fire, the former Chief Minister

of that State was referring to, there was a cloudburst and the Badrinath and Kedarnath road has been blocked. I do not know whether NDRF can do any miracles. But with a properly elected Government in position, definitely people would have got more justice. I wonder if the Central Government would bother to inform the House what steps it has taken in view of not only the fire but also cloudburst of last night.

I believe that before using article 356 which I as a Member of the Biju Janata Dal vehemently oppose, whoever is the Government of the day, should always keep people as priority, and not gaining power in the State. We can understand their desperation; we can understand especially because of Bihar, their loss in the larger cow belt, Hindi-speaking belt, they are probably thinking that focusing on small States - focusing on Arunachal Pradesh and such States - they may be able to cobble together some kind of strength next time.

I would like to quote a noted jurist, Mr. Fali S. Nariman who expressed over a decade ago in relation to an interim order passed by a Division Bench of the Apex court concerning Jharkhand. This was in 2005. He had said, "To me, the order of March 9 serves as a disturbing precedent for courts, in the future, not only the Supreme Court but also any High Court, to direct how proceedings of Lok Sabha and Rajya Sabha and State Assemblies should or should not be conducted by its presiding officers." In 1998, we have had the case of Jagadambika Pal *ji,* which is a great historical piece of judgement where the SC had ordered a composite floor test. Lawyers have said that this is a direct violation of articles 118 and 208 where no such provision is present. These are precedents and another one is being set now.

I would like to state here before winding up that the High Court of Nainital had to interfere and quash the President's rule, which was eventually challenged in the Supreme Court. A floor test is the natural recourse if questions of stability of a Government are concerned. But what worries me today is this. Which State Government is your target now? How many State Governments you break before your appetite for power is satisfied? Thank you.

SHRI JITENDRA CHAUDHURY (TRIPURA EAST): Madam, we have been discussing here an issue which is an outcome of a very undemocratic act unleashed by the Party in power.

This Bill is related to Uttarakhand. Uttarakhand Assembly is still alive. But here in Parliament, we are discussing the Uttarakhand Budget. Why has this happened? My learned colleagues have already explained that in Uttarakhand, by the undemocratic way, the Government has been dismantled.

Now, the NDA is committing the same sins that were started by the Congress Party in 1959, as we all know, when they dismissed a popular Government in Kerala led by the great E.M.S. Namboodripad and then they dismissed the elected Governments in Tamil Nadu in 1976 and also in Manipur in 1979. Again, that was repeated during the tenure of the NDA in 1998. It is very unfortunate that, when our hon. Finance Minister who is present here – he is an outstanding lawyer – the sanctity of democracy has been denied and this has been done again in Uttarakhand.

Madam, in the S.R. Bommai's judgement of the Supreme Court delivered in 1993 is a landmark judgement and in that judgement, the Supreme Court said, "Issues of majority or minority are not matters to be determined by the Governor or for that matter anywhere else except the floor of the House." Since the Uttarakhand Assembly is alive, let the floor test be conducted in the Uttarakhand Assembly, a popular Government be installed there and let their Budget be passed there. So it is very unfair to do it here.

Let the Proclamation of President's Rule imposed in Uttarakhand under Article 356 should first be scrapped. Then, if the Uttarakhand Assembly is not alive, then let us discuss the Appropriation Bill and pass it here. So, it is very unfair and it is wrong. It is a shameless assault on democracy and a blatant violation of constitutional norms. Therefore, I oppose this Appropriation Bill and I would like to urge that first the Proclamation issued Article 356 of the Constitution should be scrapped, let the floor test be conducted in the Uttarakhand Assembly, let a popular Government be installed there and then their elected representatives should be allowed to decide their destiny and let them pass their Budget.

With these words, I conclude. Thank you.

SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY (NELLORE): Madam Speaker, I thank you very much for giving me this opportunity.

We sincerely support this Budget. But we oppose the defection of people's representatives after having been elected on a particular party ticket earlier and later defecting to other parties. This is a very immoral practice. We have to correct this. Otherwise, it becomes a mockery. This is really unfortunate. We are destroying the very laws which have been passed by us in the same august House.

Madam, what is happening in Andhra Pradesh now? There is a popular Government there and it is a very stable Government with the support of 108 MLAs in the House of 175 MLAs. Our party, the YSR Congress Party has 67 MLAs. There is no need to feel panicky about the stability of the Government. In spite of that, ...(*Interruptions*)â€¦ * is taking each MLA from our party, one by one, every alternative day. Till now he has taken 17 MLAs of YSR Congress Party by paying huge amounts of money, by paying hundreds of crores.

HON. SPEAKER: No, this should not go on record.

...(*Interruptions*)â€¦ *

HON. SPEAKER: No name will go on record.

...(*Interruptions*)â€¦ *

SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY: Please ask your conscience. I am very correct. I will never tell a lie Madam. They are paying huge amounts. They have taken 17 MLAs from our Party, but still this process is going on. How is it so? This is very immoral. ...(*Interruptions*) If they have any moral responsibility, either they should resign on their own, otherwise the hon. Speaker should disqualify them. Here, the Speaker being the official party, he has immediately disqualified the people who have defected; whereas in Andhra Pradesh it is not the case. There is Telugu Desam Party;

their own Speaker is there. In spite of our reports making allegations against them, he is not at all active.

Madam, we have a great example of hon. Vajpayee *ji* here. Had he wished to survive, to keep up his Government, he would have taken some MPs from other parties and would have survived and avoided the mid-term poll. But he never did like that. That is a great example to follow. We should all follow that example.

HON. SPEAKER: That is why he is Bharat Ranta.

SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY: Yes, Madam; I admire his leadership. Had he wished, he would have taken some MPs, after all a few MPs and he would have saved his Government. But he never did it. That is the moral he had. He is a great person; we have to admire him. Here, unless otherwise we correct the lapses in our Anti Defection Law, either it should be a time-bound thing. Within three months, if a person crosses the floor, having been elected on one party's 'form B', to other party, either he should on his own resign; otherwise he should be disqualified. This is high time we acted on it. We should correct the Anti Defection Bill. However, I support this Budget. Thank you very much, Madam.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Thank you very much, Madam. TDP people are saying Telangana also but here it is reverse. Here, what Shri Raja Mohan Reddy is saying that they are being forcibly taken. They are pulling them. But in Telangana, willingly people are coming in. They are pulling and here willingly, everybody is coming. Every night, one MLA calls up and says that your administration is very good; we want to come and join. So we are allowing them to come and join. That is pulling and this is willing....(*Interruptions*) But when you come to the Uttarakhand issue, in Telugu, there is a proverb: '*Goruto poyedi goddalito techukovadam*'. It means, you could have used your nail and removed the problem but you have used an axe to remove it. As per the rules and regulations, if the Government did not have proper MLAs, there should have been a floor test. In the floor test, if it had been proved that they were short of MLAs, automatically the Government would have fallen. But here, last time Devegowda *ji*'s saying I always remember, 'old man in hurry'. This is what Mr. Devegowda had said, when he had last given his speech. I do not understand why BJP was in such a hurry. ...(*Interruptions*) I am talking about BJP, not BJD. Yesterday I saw in the newspapers that Congress wants to put President's Rule there also. The Congress has asked to put President's Rule in Odisha also. So, unnecessarily using Article 356 is not good for democracy. We have our rules and regulations in the Assemblies as well as in the Parliament. So, I request that the State should be allowed to run properly, the Parliament should be run properly and Article 356 should not be unnecessarily imposed. Thank you, Madam.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : अध्यक्ष महोदया, मैं उत्तराखंड राज्य के लिए बजट की चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। जहां तक आर्टिकल-356 का सवाल है, मुझे और हमारी पार्टी को इससे एलर्जी है। हम सैद्धांतिक तौर पर इस आर्टिकल के विरोध में हैं और इसका कारण यह है कि आजाद भारत में सबसे पहले यदि आर्टिकल 356 लगाया गया तो पेप्सु में अकाली सरकार ज्ञान सिंह रड़ेवाला की मैजोरिटी में, उसे तोड़ दिया गया। बादल सरकार की वर्ष 1980 में सरकार थी, 117 विधायकों में से 103 हमारे साथ थे, रात को ही सरकार को तोड़ दिया गया। हमारा एक मंत्री तो सचिवालय में चला गया, उसे पता ही नहीं चला कि उनकी सरकार तोड़ दी गई है। वर्ष 1985 में मैं मंत्री था और 117 में से 80 सदस्य हमारे साथ थे। हमारी सरकार तोड़ दी। हम रात को मंत्री थे लेकिन सुबह संतरी बना दिए गए। आज जब कांग्रेस वाले उत्तराखंड की घटना का विरोध कर रहे थे, तो मुझे एक कहावत याद आई कि " अपने घर लगी तो आग, दूसरे के घर लगी तो वसंत। " इन्हें अब मालूम हुआ कि आर्टिकल 356 से क्या दुख होता है।

महोदया, मेरे मित्र गगोई जी डॉ. अम्बेडकर की बात कह रहे थे। जब ज्ञान सिंह रड़ेवाला की सरकार तोड़ी थी, तब डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि जिंदगी में मुझसे अगर कोई सबसे बड़ी गलती हुई है तो वह यह है कि आर्टिकल 356 को संविधान में लाया गया है। यह बात सच है कि जो स्थिति आज उत्तराखंड में बनी है, उसके लिए हम जरूर सोच रहे हैं। जब वहां के मुख्यमंत्री जैसे रेहड़ी पर गोभी के फूल रखकर बेचते हैं, ऐसे एमएलएज़ की ऑक्शन कर रहे हों तो फिर क्या किया जा सकता है। बहुत दुख की बात है, स्टिंग ऑपरेशन हुए, ये कहते हैं कि कांस्टीट्यूशनल क्राइसिस नहीं आया। जब बहुमत हाउस में डिविजन करने के लिए कह रहे हों और लिखित तौर पर दे रहे हों तथा वहां असेम्बली में स्पीकर मैजोरिटी की बात न माने तो इससे बड़ा कांस्टीट्यूशनल क्राइसिस और क्या हो सकता है। जब मुख्यमंत्री स्वयं विधायकों को खरीदने की बात कह रहे हों, पेपर में खबर आई है, लोग मीडिया में देख रहे हैं, तो इससे बड़ा कांस्टीट्यूशनल क्राइसिस और क्या हो सकता है। हमें हाउस में ईमानदारी से जरूर सोचना होगा कि हम अपने प्रजातांत्रिक सिस्टम को कैसे मजबूत कर सकते हैं और जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसे प्रभावी तौर पर कैसे लागू करना है। आज जो स्थिति उत्तराखंड में है मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार के पास दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं था। विधायकों को जैसे खरीदा जा रहा था, मजबूरीवश केंद्र को आर्टिकल 356 लगाना पड़ा। जब इनके घर के सदस्यों में ही अलगाव हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं। क्राइसिस कांग्रेस के बीच में है। कांग्रेस की लीडरशिप खत्म हो गई है, इनके पास न नेता हैं, न नीति है। इनकी गलत नीतियों के कारण आज देश का समय बरबाद हो रहा है। मैं समझता हूं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को प्रभावी क़दम उठाने चाहिए। मैं उत्तराखंड के इस बजट के पक्ष में हूं।

श्री अजय टम्टा (अल्मोड़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस विÂषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय वित्त मंत्री जी ने उत्तराखण्ड की राजनीतिक संकट के बारे में बहुत सारे विÂषयों को बहुत ही अच्छे ढंग से रखा है। इससे इस सदन में और पूरे देश में स्थिति स्पÂष्ट हुई है। साथ ही, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय निशंक जी द्वारा भी उत्तराखण्ड के राजनीतिक संकट पर विस्तार से चर्चा की गयी है। विपक्ष के बहुत सारे साथी, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों और कठिनाइयों से अनभिज्ञ हैं। वे जो कुछ समाचारपत्रों में पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, उन्हीं बातों को इस सदन में रख रहे हैं।

मेरा मानना यह है, चूंकि उत्तराखण्ड की सीमा नेपाल, चाइना और तिब्बत के बॉर्डर से लगा है। उसकी बहुत सारी भौगोलिक परिसंथितियाँ हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, जो आज भी हैं, उनको हम सब लोग भलीभांति जानते हैं। जो लोग वहाँ रहते हैं, जो उन कठिनाइयों से जूझते हैं, उन लोगों को मालूम हैं।

उत्तराखण्ड की इन्हीं सारी कठिनाइयों के कारण वर्षों से मांग रही थी कि यह एक अलग राज्य बनना चाहिए। इस संबंध में बहुत सारी आहूतियाँ हुई, बहुत-से लोग शहीद हुए। बहुत सारी माताएँ-बहनों की आहूतियाँ हुई। मुजफ्फरनगर का कांड या खटीमा का कांड या मसूरी का कांड हुआ। लेकिन कांग्रेस के समय में हमें अलग राज्य नहीं मिला। अटल जी के समय में हमें अलग राज्य मिला, विशेÂष राज्य का दर्जा मिला, हमें औद्योगिक पैकेज मिले। तब हमारे राज्य का विकास-कार्य बढ़ा। हालांकि उस समय वहाँ कांग्रेस का शासन था, फिर भी यह दिया गया। इन सारी चीजों को हमें याद रखना चाहिए।

कांग्रेस के शासनकाल में जिस पूकार की परिस्थितियाँ उत्तराखण्ड राज्य में रही हैं, भू-माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया आदि सारे माफिया तंत्र के लोगों का सरकार से जुड़े होने के कारण वहाँ की जनता तो त्रस्त थी ही, लेकिन वहाँ के कैबिनेट मंत्री ...(*Interruptions*)â€¦ * और एक पूर्व मुख्यमंत्री तथा सात विधायकों ने सरकार के मत विभाजन के समय ही अपनी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका और सदन के अंदर की यह कार्यवाही कैमरे में भी है, लिखित रूप में भी है, जिन्होंने खुद कहा है कि वहाँ की सरकार भ्रष्ट है। कांग्रेस की सरकार के साथ पूरा राज्य नहीं है।

हम मंत्री और विधायक भी इनके साथ नहीं हैं। यह स्पÂष्ट स्थिति हुई है। इसलिए डिवीज़न मांगना उनका अधिकार था, उन्होंने डिवीज़न मांगा और उन्हें डिवीजन नहीं दिया गया तथा विधान सभा अध्यक्ष जी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। उन्होंने उन सदस्यों की बात सुने बिना ही सिर्फ एक लाइन बोलकर चले गये। आज तक का यह सारा विÂषय आप सबके और हम सबके ध्यान में है।

मेरा यहाँ पर बैठे सभी साथियों से कहना है कि वास्तव में उत्तराखण्ड राज्य, जिसका 70 पर्सेंट क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से वनक्षेत्र है। हमारी बहुत बड़ी कठिनाइयाँ हैं। हमारे पास अपनी नाप जमीनें बहुत कम हैं। जितना हम विकास कर सकते हैं, आज भी हमारे पास मोटर मार्ग नहीं हैं, कई गांवों में बिजली नहीं है, कई गांवों तक रास्ते नहीं हैं, पानी नहीं है, उन सब चीजों को करने के लिए बहुत सारे वन क्षेत्रों की आवश्यकता होती है।

सबसे पहले तो मैं आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी छोटी-छोटी समस्याओं को भी दूर किया है। जैसे हमें फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए भारत सरकार के पास आना पड़ता था। लेकिन अब राज्य सरकार को ही पाँच हेक्टेयर तक की भूमि का निस्तारण करने का अधिकार दिया गया है। वन क्षेत्र में स्कूल, अस्पताल, सड़क आदि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास राज्य सरकार खुद करे।

हमारा क्षेत्र हर वर्ष आपदा का क्षेत्र रहता है। हम लाझकेला की घटना को नहीं भूले हैं, जिसमें 42 लोग एक ही रात में लील गये थे, केदारनाथ और बद्रीनाथ में हजारों लोगों की जान चली गयीं। ऐसी बहुत सारी आपदा की घटनाएँ निरंतर होती रही हैं। हमारे आज के प्रधानमंत्री जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने तब भी उत्तराखण्ड राज्य की चिन्ता की और वहाँ की सरकार तक आपदा राहत पहुंचायी है।

वास्तव में हमें इस बात की बहुत ज्यादा चिन्ता है। हमें कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं दिया है। वहाँ की आम जनता जानती है कि जितना राज्य को मिला था, उसमें हमेशा कांग्रेस ने लूटने-पीटने का काम किया है और वहाँ की जनता को त्रस्त करने का काम किया है। वह तो बिल्ली के भाग्य से छींका फूंटा कि 33 विधायक कांग्रेस के पास आए और 32 विधायक बीजेपी के पास आए। उसका लाभ लेकर फिर जोड़-तोड़ की राजनीति में कांग्रेस लग गयी थी।

मैं सदन को यह भी बताना चाहूँगा क्योंकि हमारा उत्तराखण्ड राज्य सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। यह सीमा का प्रहरी है। सैनिक बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते कोई भी ऐसा घर नहीं है, जिस परिवार का हर दूसरा व्यक्ति सेना में न हो।

"वन रैंक वन पेंशन " का लाभ देकर हमारी सरकार ने उत्तराखण्ड की जनता को एक बहुत बड़ा लाभ दिया है।

18.00 hours

हमारे यहां बिजली उत्पादन के लिए बड़े स्रोत हैं। नेपाल हमारा मित्र राÂष्ट्र है, हमारे रोटी-बेटी के संबंध नेपाल के साथ हैं, मगर वहां 17 वÂर्ष बाद हमारे प्रधानमंत्री जी गए और सबसे बड़े डैम, पंचेश्वर डैम, जो साढ़े पांच हजार मेगावाट बिजली बनाएगा। वह बिजली केवल उत्तराखण्ड राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए होगी। ऐसी बहुत सी संभावनाएं हैं। हमारे पास ग्लेशियर्स हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अजय जी, एक सेकण्ड के लिए रुकिए।

अगर माननीय सदन की इजाजत हो, आप सभी की सहमति हो तो सदन का एक घण्टे के लिए यह बिल पास करने तक बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य: जी, हां।

श्री अजय टम्टा: अध्यक्ष जी, हम आज उत्तराखण्ड राज्य की बात कर रहे हैं। वहां हमारे पास बड़े-बड़े हिमनद हैं। वहां एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर - मिल्लम ग्लेशियर है, जिससे बहुत सारी नदियां हमारे उत्तराखण्ड राज्य से पूरे देश में जाती हैं। ऐसी बहुत सारी संभावनाएं उत्तराखण्ड राज्य में हैं। कांग्रेस के मेरे मित्र गोगोई साहब इस तरह बोल रहे थे जैसे वह वहां पर्यटक के रूप में गए होंगे। वहां पर्यटक के रूप में बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन उनकी वास्तविक कठिनाइयों को देखने की आवश्यकता है। मैं पीछे दो दिन की छुट्टी में अपने क्षेत्र में गया था, वहां गांव के लोग अपने घरों के बाहर बैठे थे कि आग किस तरफ फैलेगी, लेकिन सरकार के अथक प्रयास से, एनडीआरएफ और वायुसेना के माध्यम से उस आग को बुझाया गया। हमारे यह मित्र जी नहीं जाते, वहां कांग्रेस के अन्य एक मित्र भी हैं, जो कौसानी में हफ्ते-हफ्ते भर रहते हैं। इसलिए यहां यह कहना संभव नहीं है कि किस प्रकार राज्य को हम लोग ठीक कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस वहां राज कर रही थी, उसका यह परिणाम है। वहां जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, ...* वह स्वयं कहते थे कि यह राज्य मेरी लाश पर बनेगा। इस प्रकार की भावना थी। कांग्रेस कभी उत्तराखण्ड राज्य बनाने की पक्षधर नहीं रही है। यह राज्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी उसकी पक्षधर है। मैं देख रहा था कि माननीय वित्तमंत्री जी द्वारा विभिन्न विभागों की मदों में जो मांग की गयी है, बहुत अच्छे प्रकार से उन सभी योजनाएं के लिए उन्होंने बजट की मांग की है। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. अरुण कुमार जी, दो मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए।

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद) : मैडम, यह बड़ा महत्वपूर्ण विÂषय है।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

डॉ. अरुण कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड राज्य के वित्त विधेयक, 2016-17 पर चर्चा के लिए आपने अनुमति दी, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं।

कांग्रेस के दो माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी। जब कांग्रेस के लोग लोकतंत्र पर चर्चा करते हैं तो हमें हंसी आती है। पूरा इतिहास अनुच्छेद 356 के दुरूपयोग से भरा पड़ा है। माननीय सदस्य चन्दूमाजरा जी जब बोल रहे थे, तो इनके दिल की पीड़ा थी किस तरीके से क्षेत्रीय दलों की लोकतांत्रिक सरकारों को इन लोगों ने कुचला है, तोड़ा और मरोड़ा है। अनुच्छेद 356 और लोकतंत्र की जहां तक बात है, कभी-कभी लोकतंत्र की रक्षा के लिए अनुच्छेद 356 का संविधान में प्रावधान किया गया। जिस तरीके से 18 तारीख की घटना हुई। उत्तराखण्ड की विधान सभा में जब मामूली बहुमत से, 32 और 33 सदस्यों के साथ सरकार चल रही थी, उनमें से 9 विधायक बागी हो गए। जिस पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं हो, वह पार्टी लोकतांत्रिक सरकार कैसे चला सकती है, यह कल्पना से परे है। इसलिए जब उनकी अंतरात्मा की आवाज आई कि राज्य के हितों के साथ अनदेखी हो रही है, लूटपाट हो रही है, भ्रÂष्टाचार फैल रहा है तो निश्चित तौर से उन लोगों ने फ्लोर टेस्ट कराने की बात की। संविधान के उच्च पद पर बैठे हुए लोग, सार्वभौमिक सत्ता उनके साथ जरूर है, लेकिन संविधान में चेक और बैलेंस की भी व्यवस्था है। डिवीजन की मांग यदि एक सदस्य भी करता है तो डिवीजन कराना चाहिए और वहां डिवीजन की गुहार लगाई गयी, लेकिन चूंकि फ्लोर पर सरकार नहीं चल सकती थी, इसलिए निश्चित तौर पर कांस्टीट्यूशनल क्राइसिस यह भी है कि हम संविधान के अनुसार व्यवस्था नहीं दे रहे हैं।

इसलिए निश्चित तौर से इस कंस्टीट्यूशनल क्राइसिस में केन्द्र सरकार का स्टेप-इन करना आवश्यक था। हम कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करने की एक आदत सी बना ली थी और वर्ष 1975 में आपातकाल के साथ लोकतंत्र के डेथ वॉरंट पर सिग्नेचर किया गया। भारतीय जनता पार्टी और अन्य सहयोगी दल, जो लोकतंत्र में विश्वास करने वाली शक्तियां थीं, वर्ष 1977 में एक नये इतिहास की संरचना की और उस संरचना के आधार निश्चित तौर से आज जिम्मेदारी बनती है कि हम लोकतांत्रिक शक्तियों को मजबूत करें और क्षेत्रीय पार्टियों को भी मजबूत करें। अभी तृणमूल कांग्रेस के प्रो. सौगत राय बोल रहे थे। वह उधर भी रहे हैं और इधर भी रहे हैं। इसीलिए उनकी अंतरात्मा से उनकी बात आ रही थी कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए ही, संविधान की रक्षा के लिए ही वहां कंस्टीट्यूशनल क्राइसिस से निबटने के लिए ही सरकार यह प्रस्ताव लायी है, जिसका हम समर्थन करते हैं।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदया, संविधान लोक-लाज से चलता है, संविधान को हम मानेंगे, लेकिन खूंटा वहीं गाड़ेंगे, जहां मेरा मन है, यही है बीजेपी। संघीय ढांचे पर हमला किया जा रहा है। हमारी संघीय व्यवस्था पर हमला अत्यंत ही घातक है, वर्तमान में भी और भविÂष्य में भी। यही उत्तराखण्ड में हुआ है और यही अरुणाचल में हुआ है। हम बाबा साहेब की 125 वीं जयंती मना रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, लेकिन हम लोकतंत्र को बुलडोज भी कर रहे हैं। अनैतिक है या नहीं, इसका फैसला फ्लोर पर होगा, सदन में होगा। लेकिन यह तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है और गलाघोंटू लोकतंत्र है। अहंकार और खुमार के बल पर यह जो फैसला लिया गया है और राÂष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। यह फैसला कानून के दरवाजे से होता, अगर नहीं हुआ, जबरदस्ती हुआ तो सख्ती से इसका फैसला होगा। अतिबलशाली का भी विनाश होता है। यह जो नासूर है, यह लोकतंत्र को समाप्त करेगा। जहां-जहां भी गैर-भाजपा सरकार है, वहां-वहां इस तरह का हमला शुरू हो गया है। उत्तराखण्ड लोकतंत्र का भण्डार कोना है। प्रकृति ने ऊपर से उपहार के रूप में उत्तराखण्ड दिया, लेकिन लोकतंत्र की दमनकारी नीति की शुरूआत है और देश में उपहास हो रहा है कि लोकतंत्र पर हमला उत्तराखण्ड में किया गया है और उधर जो बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने किया है। संविधान की धज्जियां उड़ा दी गयी हैं। इन लोगों को बाबा साहब का नाम लेने का अधिकार नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाना गलत है। सोए में लोकतंत्र की हत्या की गयी। देवभूमि को दमनभूमि बना दिया गया, यह अत्यंत ही घातक है, यही कहकर हम अपनी बात को समाप्त करते हैं।

श्री दुÂष्यंत चौटाला (हिसार) : अध्यक्ष महोदया, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब घी सीधी अंगुली से नहीं निकलता है तो अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है। मैं उस प्रदेश से आता हूं जिस प्रदेश में पहली बार कहा गया- आया राम, गया राम। वर्ष 1967 में हमारे प्रदेश के विधायक गया लाल जी एक दिन में तीन दलों में आए और गए। आपको तो बहुत अच्छी तरह से पता है कि वर्ष 1982 में जब चौधरी देवी लाल के पास मेजोरिटी थी, तब उस समय के गवर्नर तापसे जी ने बुलाकर एक महीने का समय कांग्रेस की सरकार को वहां दिया था, क्योंकि केन्द्र सरकर का दबाव था। आज कांग्रेस दुखी और पीड़ित है क्योंकि इनके दो प्रदेशों में ऐसे हालात हैं, जहां इन्हीं के लोग इनको छोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा, ताकि इन्हें याद रहना चाहिए कि जब इंदिरा गांधी जी 14 साल इस देश की प्रधान मंत्री रहीं तो उन्होंने पचास बार अलग-अलग राज्यों में धारा 356 लगाने का काम किया था।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2009 में जब इनकी मैजोरिटी हरियाणा प्रदेश में नहीं बनी तो रातों-रात हैलिकॉप्टर से हरियाणा जनित कांग्रेस के पांच विधायकों को खरीदकर इन्होंने दिल्ली लाने का काम किया और प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया। पांच साल मामला सुप्रीम कोर्ट में रहा। जो इनके विधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने उन्हें डिसमिस नहीं किया, बल्कि सरकार का हिस्सेदार रखने का काम किया और जब हाई कोर्ट के आर्डर आ गये कि पांच साल के अंतराल में उन्होंने जितनी फैसिलिटीज लीं, जितने लॉ अमैंड किये, उन सबको नल एंड वॉइड किया जाए तो भी इनकी सरकार ने हाई कोर्ट के आर्डर मानने का काम नहीं किया। लेकिन जो उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में हुआ, उससे भी मुझे दुख होता है। *â€¦* प्रदेश में प्रेसिडेन्ट रूल में लगा देते हैं और माननीय *â€¦* यह बड़े दुख की बात है कि इस देश के सर्वोच्च पद पर टिप्पणी की जाती है। मैं आज सरकार से आग्रह करूंगा कि हमें *â€¦* के ऊपर भी एक्शन लेने की सोच रखनी पड़ेगी। आज मन करता है तो मीडिया का कोई साथी सरकारों के खिलाफ कुछ भी लिख देता है। *â€¦* आज ऐसी टिप्पणी करते हैं कि कल अखबारों और टीवी में हाईलाइट बन जाए। आज हमें अपनी डेमोक्रेसी का अंत दिखाई दे रहा है। बाबा भीमराव अंबेडकर कहा करते थे - "Emergency provision should be a dead letter in our Constitution." परंतु मुझे लगता है कि जहां डाटा सामने आएगा तो जवाहर लाल नेहरू जी ने आठ बार धारा 356 लगाने का काम किया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बार धारा 356 लगाने का काम किया, मोरारजी देसाई जी ने 16 बार धारा 356 लगाने का काम किया, चौधरी चरण सिंह ने चार बार धारा 356 लगाने का काम किया और इंदिरा गांधी जी ने पचास बार इस देश के अंदर धारा 356 लगाने का काम किया।

महोदया, आज हमें इस प्रोविजन के अमैंडमैन्ट के ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी ...(व्यवधान) प्रेसीडेन्ट रुल और इमरजेन्सी दोनों आपकी सरकार ने लगाने का काम किया। मैं वह वाकया नहीं भूलूंगा कि जब आपने मेरे परिवार के चार सदस्यों को सलाखों के पीछे रखा था और वे लोग 19 महीने सलाखों के पीछे रहे थे। जेटली जी चले गये, वह भी अम्बाला की जेल में रहकर आए थे। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दो प्रदेशों में डेमोक्रेसी को अनरेवल करने का काम किया, हमें उसका भी संज्ञान लेना पड़ेगा। इनके कई साथी इनकी पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं, उसका दुख है, मगर प्रजातंत्र को इससे भी खतरा है कि हमारे देश में दोबारा हॉर्सट्रेडिंग देखने को मिल रही है।

महोदया, मैं आज आपका आभार प्रकट करूंगा कि आपने मुझे एक मिनट की जगह ढाई, तीन मिनट बोलने दिया। मैं समझता हूं कि आज हमें सबसे पहले आर्टिकल 356 के ऊपर इस सदन में दोबारा चर्चा करनी पड़ेगी। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRIMATI MALA RAJYALAKSHMI SHAH (TEHRI GARHWAL): Hon. Speaker Madam, thank you for letting me to speak today on Uttarakhand.

As you know, we are facing a lot of problems in Uttarakhand. The Bill is being discussed. We support the Bill. But our colleague, Mr. Gaurav Gogoi was very kind to talk about Uttarakhand. Thank you Mr. Gaurav Gogoi and all the rest of the speakers. But today I would like to speak not as an MP but as a Uttarakhandi about the problems we are going through. Modi Ji has done a lot for Uttarakhand. We support him. Let me tell you we had gone through a lot of problems in 2013 when the Government was of Congress, and what we went through we only know. I never say this but it is a fact. In Parliament these days, I see we only talk about papers, Bills and all these things. But things are not practical.

Today I would like to say it in Parliament that we must be more practical and let Parliament be like a Parliament and not like a *machhi bazaar.* I feel very sad about it. But I will definitely thank Gaurav ji. I do not know that you are so fond of our Gadwali songs. So, I thank you very much.

Let me tell you what has been happening; what I went through and what my people went through in 2013. It was very sad. At that time, the Congress was in Government. But that is the past. We only talk about each other. But the people, who are suffering, are suffering. Uttarakhand people need the support of our Government. The support will only come if we are with the people. That is all I would like to say. With these words I support this Bill. Thank you very much.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदया, यहां सब लोग रो ही रहे हैं। हंस कोई नहीं रहा है। कांग्रेस के मित्रों से हम आग्रह करेंगे कि जैसा बोएंगे, वैसा ही पाएंगे। माने बबूल रोपे तो क्या खजूर खाइएगा? मैं सबकी बात कह रहा हूँ। जनतंत्र को ध्यान से हटा कर लोकतंत्र की बात भी यह सही नहीं है। हम समझते हैं कि *â€¦* हर डाल पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। यहां आप भी समझते हैं।

अध्यक्ष महोदया, आप तो मेयर रही हैं। ब्लॉक प्रमुख की जो दो साल के बाद बदली की जाती है, जिला परिÂषद् अध्यक्ष का या मेयर की जाती है, तो वह कोई *â€¦* को हटा कर महात्मा गांधी को बिठाने की बात नहीं होती है। वह रूपया के चलते एक *â€¦* को बिठाता है या तो *â€¦* को बिठाता है। यह जो सत्ता में पैसे, यह जो money will must, money will first and money will just. अर्थ में जो, महात्मा गांधी जी से किसी ने पूछा था कि गांधी जी आप के मरने के बाद यह जो तस्वीर लगी है, जहां हम न्याय लेते हैं, उसका क्या होगा तो उन्होंने कहा कि हमारी तस्वीर याद दिलाती रहेगी। हमें लगता है कि गांधी जी की छाप जो रूपए पर है, वह याद दिलाती रहती है कि सत्ता के मद में कौन ऐसा व्यक्ति है, हॉर्स ट्रेडिंग कौन नहीं करता, यह दुनिया जानती है। इसलिए उस पर बहस नहीं है। लेकिन थोड़ी जल्दबाजी बीजेपी के साथियों ने कर दी, उनको इंतजार करना चाहिए। आपने *â€¦* जी को हीरो बना दिया। आप मानिए या न मानिए, जो तंग होता है, यह देश हमेशा उसके साथ खड़ा होता है। यह देश या तो ताकतवर के साथ खड़ा हुआ है या तो दया करने के वाले के साथ खड़ा हुआ है। आप लोगों ने थोड़ी जल्दबाजी की है, यह उचित नहीं था, उनको आप फ्लोर टैस्ट करने देते।

मेरा आग्रह है कि स्पीकर और गवर्नर के बीच यह कौन तय करेगा कि स्पीकर सर्वोच्च है या नहीं है। न्यायपालिका और स्पीकर के बीच कौन बड़ा है। हम तो याद करना चाहते हैं सोमनाथ दादा को और संगमा साहब को। सोमनाथ दादा लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी थे, जिन्होंने न्यायपालिका से ले कर दुनिया को बताने का काम किया था कि लोकतंत्र की ताकत इस कुर्सी से चलती है न कि हिंदुस्तान के â€¦ * से चलती है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, मुझे उन पर गर्व है। मैं आग्रह करूंगा कि दुनिया ऐसी चीजों को कभी भी उचित नहीं ठहराती है, जो जनतंत्र को अच्छा न लगे। मैं निशंक जी से कहना चाहूंगा, आपके यहां एक संत मर गए थे, भू-माफिया के खिलाफ लड़ते हुए मर गए थे, उत्तराखण्ड में जो प्रलय हुई, वह किसकी देन है? वह राजनीतिज्ञों की देन है। पढ़ने से इतिहास नहीं बनता है। जो इतिहास बदलता है, उसका इतिहास होता है। इतिहास पढ़िए नहीं, देवो भूमि, मातृभूमि, इतिहास के करने से इतिहास बदलत है। वे जो संत मर गए थे, तो उनको कोई देखने वाला नहीं था। उत्तराखण्ड के सात गांवों में एक भी मर्द नहीं है, सिर्फ औरतें बची हैं उस प्रलय के बाद। चारों धाम ध्वस्त हो गए। प्रकृति और परमात्मा को छेड़ने वाला जो मनुÂष्य है, पहले उसको सुधारिए। इन सारी व्यवस्थाओं के दोषी राजनैतिक लोग हैं।

इसीलिए हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि हम अपनी नीति और नीयत को ठीक करें। राजनैतिक व्यवस्था बिकना बंद करे। पद और सत्ता के लिए हम लोभी न बनें। मेरे पास वक्त नहीं है, हम आग्रह करेंगे कि ऐसे लोक तंत्र को बचाने में यदि जनतंत्र पर खतरा तो वह सही नहीं है। आपने जो राष्ट्रपति शासन लगाया, हो सकता है कि वह संवैधानिक चीजें हों, लेकिन मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि सबसे पहले पॉलिटिकल सिस्टम, सबसे पहले राजनीतिज्ञों की स्थिति है, उसको ठीक करें। जो आज संवैधानिक, लोकतंत्र और जनतंत्र की रक्षा नहीं कर पाता, जात, धर्म मज़हब, सत्ता वोट के लिए सब कुकर्म करते हैं।

हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो जाति, धर्म, मजहब और रूपए से ऊपर उठकर लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। यह मेरा आग्रह है। जो वहाँ पर राÂष्ट्रपति शासन लगा है, हम इसको जल्दबाजी मानते हैं। थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि आप जैसा बोए हो, वैसा ही पाओगे। बोए हो बबूल, खओगे खजूर कहाँ से। आप सब दिन वैसा किए हो। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जो राÂष्ट्रपति शासन लगा है, इसको आप वापस करें। आप जो बिल लाए हैं, निश्चित रूप से यह बिल, चूंकि संवैधानिक संकट था, इसे लाना आवश्यक था, आप जो बिल लाए हैं, मैं समझता हूँ कि इस बिल को लाने में आपने जल्दबाजी नहीं की है। संवैधानिक संकट से बचाने के लिए आप यह बिल लाए हैं, इसका मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन जो आपने राÂष्ट्रपति शासन लगाया है, उसका हम विरोध करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : सुÂिष्मता देव, ओनली टू मिनिट्स। Not more than that.

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पूरा समय समाप्त हो गया, आपने डबल समय लिया। आपने उस पर, अच्छा बोलने वाली पर अन्याय किया है। गौरव जी ने अन्याय किया है। नाऊ ओनली टू मिनिट्स। I am sorry.

KUMARI SUSHMITA DEV (SILCHAR): Madam, I will keep myself very brief. I thank you that you were kind enough to grant me some time.

I have never had the privilege of opposing the hon. Finance Minister, Shri Arun Jaitleyji, in a court of law. So, today is the first time that I stand face to face because the last Bill was passed by consensus.

He is right that as the Finance Minister of the country, it is incumbent upon him to avoid any constitutional crisis that may emerge if the Uttarakhand State Government is unable to spend after the 1st of April. There, I agree with him. But I am forced to say that the constitutional crisis that we fear that may happen on 1st of April is actually precipitated by the decision of the Cabinet on 26th of March. On that day, a meeting happened late in the evening. It is that meeting which actually first precipitated the constitutional crisis. I say this because there is one very important thing.

The Government of India has filed an affidavit in the court wherein nowhere have they stated that the Governor of Uttarakhand has recommended President's Rule. Secondly, since there is no such report in front of the President, they are relying on the word 'otherwise'. Based on that otherwise clause, the President is satisfied that the State Government is not acting in accordance with the constitutional provisions.

Now, there is a short point. I know that I can be brief because Mr. Jaitley, being an eminent lawyer, will understand what I am saying. I do not have to elaborate. I would like to ask what was the material in front of the hon. President of India, and in front of the Cabinet, which showed and was evidence of the fact that the elected Government of Uttarakhand was not going to be able to function as per the provisions of the Constitution. There are several judgements to say that 'not in accordance with constitutional provisions' is not just any provision; it has to be a set of events that has happened in a State and it must be one of the key administrative functions.

Madam, we definitely do not want Uttarakhand to enter into any financial crisis, but I can say this much that there is no law in this country which requires a division, which means not a voice vote, on an Appropriation Bill. As far as the material I have, the Assembly had already voted on the grant. It was the Appropriation Bill that the Speaker did not allow a division on.

In the end, I would say that it is true that the Governor has not given its assent to the Budget, which hon. Finance Minister stated, but the question is that the final authority on certifying whether a Budget has been passed or not lies with the Speaker of the House, which no one can question. The Governor on 18th evening knew that the entire battle was about the Appropriation Bill and only 27 MLAs wrote to the Speaker of the House to ask for a vote by division. It was not the majority. Therefore, the show cause, that was eventually issued by the Speaker, was on the basis of the memorandum they signed and submitted to the Governor along with BJP MLAs. On 27th, if the minority asks for a division of vote, Madam, you are not bound to do it. They only signed the memorandum much later. This is an absolute travesty of justice and I am grateful that every attempt of this Government to scuttle a Floor Test has ultimately been set aside by the hon. courts. Thank you.

SHRI ARUN JAITLEY : Madam Speaker, I am extremely grateful to the hon. Members who have participated in this discussion. Though, the discussion is only on the Constitutional necessity of having an Appropriation Bill and the Budget passed so that there is no Constitutional crisis, bulk of the discussion really has been around article 356.

Article 356, from the time of its inception, has been an unpopular provision. Even those Founding Fathers -- who legislated article 356 --were not very enthusiastic. Therefore, it is only in the rarest of rare cases that the President or the Centre has to step in because there is a federal polity, there is always a shared mandate.

A State Assembly is elected for the powers that the State Assembly has. The Parliament is elected for the jurisdiction that the Centre has. It is a shared sovereignty as far as India is concerned between the Centre and the States. This is the essence of Federalism, which has to be respected.

But then, there are several unforeseeable situations where the governance of a State cannot be carried on in accordance with the Constitution. There is no corresponding provision with regard to the Centre. There must always be an elected Government in the Centre, but in a State a situation of this kind can arise. This power was hugely used, even misused, in the earlier days. But as a result of several pronouncements of the court -- I can deal separately with a number of those because they are given in a particular context -- the use of it has now been restricted.

To comment on article 356 without touching the facts, now everybody said that article 356 was used or misused in Arunachal Pradesh and Floor Test is the rule. But are we aware of the fact that when Floor Test was asked in Arunachal Pradesh, the Speaker physically locked the Assembly और स्पीकर ने कहा न असैम्बली का प्रिमाइसेज़ होगा, न फ्लोर टैस्ट होगा। Now, what if a Speaker himself locks the Assembly and prevents a Floor Test? Mr. Satpathy can stand up here and say that Floor Test is the rule, but there is no floor where the test can take place because the floor has been locked. So, the rebel MLAs went in majority and had an Assembly Session outside in a new premises. Now, who in the world can say that this is not a breakdown of the Constitutional machinery? So, let us not comment on article 356 in Arunachal Pradesh -- which is not the issue today -- without realising what was happening in Arunachal Pradesh. Did the Constituent Assembly envisage that we will have Speakers who will physically lock the Assembly and say that : "I do not allow you to hold the Session and therefore there will be no Floor Test" and in the abstract, somebody will say that rule is Floor Test.

Now, as far as Uttarakhand is concerned, my young friend Ms. Sushmita, just now very eloquently said what was the material? Let us not go into the rest of the material. I will only point out three materials. On the 27th midnight, when the Council of Ministers met and decided to advise the President, let us forget other factors, you had the first material that 27 MLAs, as you said, asked for a Division. The Speaker says that : "I do not give a Division.". Everybody can theoretically write an essay or give a speech saying 'floor test' should be done. But what if the Speaker refuses to have a 'floor test'? ...(*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: He has the right. Will the Speaker not have the right? She has the right.

SHRI ARUN JAITLEY: Let us not create a constitutional monstrosity! The rule is a 'floor test', but what if the Speaker refuses to test the floor? What if the Speaker wrongly counts and wrongly tests the floor? What if the Speaker then says, "I will change the characteristic of the floor and then test it"? In such a situation, what is to be done? I will just elaborate the argument.

What was the material before the President? The first material is 27 MLAs asked for a division, but the Speaker does not give it. Thirty-six MLAs immediately write to the Governor saying, "We have voted against the Bill". The minutes of the Assembly record that a division was asked, but the Bill was declared as 'passed'.

Secondly, between this monstrosity that took place on the 18th where the majority fails the Budget, but the Speaker declares it passed, you have a video clipping -- and the forensic examination holding it true – of the Chief Minister indulging in horse-trading.

Thirdly, the 28th March was three days away from 1st April. The Speaker has not certified the Appropriation Bill, and the Governor has not given his assent. On the 1st of April, the State would have been plunged into a constitutional crisis where there was no Budget.

How did the Speaker on the 28th give a certificate? If you check up the record, after the 27th recommendation and the President's Rule, while criticism was being made, I wrote an article and put it on my blog saying "A State without a Budget". There cannot be a bigger constitutional crisis than this. Then, some wise people realized that they made this mistake, the Speaker has not even certified the Budget – I said in my blog that till I wrote that blog and put it on post, the Speaker has not certified the Bill because the Bill does not exist – within minutes, the Bill was signed by the Speaker on 28th और बैक डेट में, 19 की डेट डालकर गवर्नर को 28 तारीख की दोपहर को भेज दिया।

Now, the material is when President's Rule is imposed, when the majority was saying that they failed the Budget, horse-trading was going on, you have a State without a Budget, and within 72 hours it would have plunged into a constitutional crisis; the certificate of the Speaker comes much later; till today, the Governor has not given his assent. ...(*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: That is your allegation.

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, let us talk in real terms. Article 356 is an unpopular provision. What are the basic factors? Democracy and federalism are the essence of the Indian Constitution. Democracy means 'rule by majority'. If the majority fails the Budget, can a Government continue even for a minute? The answer is 'no'. â€¦ (*Interruptions*)

SHRI NINONG ERING (ARUNACHAL EAST): What about the Tenth Schedule?

SHRI ARUN JAITLEY: The MLAs may be disqualified. The answer to the 'Tenth Schedule' is the MLAs will be disqualified, and the Government has to resign because it has lost the Budget; both things have to follow. That is the answer; that is the constitutional provision.

Now, democracy is rule by majority. Let us see the dangerous consequences of the argument. Courts have no jurisdiction to review the decision of the Speaker. Supposing a Vote of Confidence is lost, let us assume, and the Speaker says, "I believe that the 'vote' is passed", it means 'majority is declared a minority' and 'minority is declared as majority'.

I will give you three or four illustrations in the Uttarakhand Case. The rule by majority is defied because a failed Budget was declared passed. The argument is, "You should have had a floor test". Well, a floor test is a 'division'.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): It was not done.

SHRI ARUN JAITLEY: The Speaker refuses to have a division; he refuses to test the floor. Today, the argument is: "Go back to the same Speaker and have another floor test." Why did the Speaker refuse to have a floor test on the 18th? It is because they did not have the majority. The questions which have to be answered is: What if the Speaker refuses to have a floor test? You can in the abstract say, "Bommai has said that floor test is the rule." But the Speaker is refusing to have a floor test.

Second is, the Speaker wrongly manipulates the floor by wrongly counting. The third situation is that the Speaker adjourns the House and then changes the character of the floor and says, "Now let us have a floor test under a new floor." In such a case, under article 212, the Courts cannot go into it. But in such a case, Prof. Saugata Roy I repeat what I told you earlier, the actions of the Speaker can constitute a break down of the constitutional machinery because the Constitution envisages rule by a majority, not rule by a manipulated majority or a wrongly counted majority.

PROF. SAUGATA ROY: The Speaker in a democracy is always right. ...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: If he allows, I have no objection.

...(*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: Therefore, to say, have a floor test, we are on a moral high ground. Shri Gogoi said: "We wanted a floor test." But the Speaker refused to have a floor test on the 18th. That is the answer. Then he manipulated the floor. Then he changed the nature of the floor. And then you say, "Oh, because it is being held to be a break down of the constitutional machinery, the Centre has posed a threat." My respectful submission is this. I am not going into grey areas like horse trading. This is the answer to the article 356. Let me tell you that article 356 has had a chequered history. With respect, the Supreme Court is always binding. But there are many times 30 years or 50 years later when you test the Supreme Court judgment.

Shri Satpathy raised a very important point. Today in 2016, let us test the 1977 view. The 1977 view of the Supreme Court about article 356 was that if a party has lost majority in a Lok Sabha election, it automatically means that people have expressed a No Confidence in the State Assemblies of that party. Nine State Assemblies were dissolved. Today in 2016, if you discuss the State of Rajasthan ruling of 1977, most people would agree and jurists would agree that it was probably a ruling which requires to be re-visited because the Lok Sabha election decided otherwise, it automatically means that confidence in the Assemblies is lost.

Now, I would give you the second example. Bommai's case correctly laid down the principles. But what was the application in Bommai's case? In Uttar Pradesh, a disputed structure, as a result of some action, fell down or was demolished. So, the Governments of Madhya Pradesh, Rajasthan and Himachal Pradesh should also be dismissed and article 356 was upheld. बोम्मई केस का एप्लीकेशन यह था कि तीन राज्यों में, जहां कुछ नहीं हुआ, उन तीन राज्यों में आर्टिकल-356 को जस्टिफाई कर दिया गया क्योंकि एक चौथे राज्य में एक घटना हुई। आज वर्ष 2016 में अगर आप बोम्मई केस का एप्लीकेशन टेस्ट करें तो my respectful submission is that Courts have also shown tendency to be carried with the times. One of the cardinal principles of judicial independence is that Courts should never follow the ballot box. But it did not happen. The judgment of 1977 can raise questions. The Bommai judgment in its application raises questions. I have told you what has been said in those cases. Only history will test the correctness of those judgments.

But let us see how. My friend from the Left party has raised a question. Today Mr. Gogoi was saying 356 is very dangerous. The second time when it was imposed, first time in PEPSU, was against a Left Front government, against the Namboodiripad Government. You should read the correspondence between Pandit Nehru and Mrs. Indira Gandhi. One was the Prime Minister, one was the Congress President. She was pressing for it and he was distinctively uncomfortable. It is published correspondence. In Punjab, Akali Dal government was dismissed three times under 356. You were in power. And when militancy came, the militants used to give this as one of the reasons कि आपको बैलेट बॉक्स के थ्रू तो राज करने नहीं देंगे। What happened in Haryana? पूरी की पूरी सरकार लेकर चले गए थे भजनलाल जी। कश्मीर, आज आपके साथी हैं डॉक्टर फारूख अब्दुल्ला, उनकी सरकार थी। उसके स्थान पर गुल मोहम्मद साहब की सरकार बना दी। उससे कश्मीर की पूरी इंस्टेबिलिटी आर्म हुई। ...(व्यवधान) एनटीआर के केस में क्या हुआ? What would any government have done in let us say Uttarakhand where the Speaker says that I am converting a majority into a minority? So, a lot can be argued. Let the courts decide.

Today I am on a limited question. Irrespective of whichever way the courts decide, whether they revive one Government or they create a new Government or they extend President's rule continues, the Appropriation Ordinance has to be made into an Act because there is a cloud on what happened on the 18th of March and, therefore, expenditure from 1st April has to be ratified. That is a necessity and that is why we have sought that appropriation for a period of four months. That is a Constitutional necessity and I would urge my friends in the Congress Party and others also who have reservations and two views about 356, that this is a Constitutional necessity, it should really be approved.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: जेटली साहब ने विस्तार से अपनी बात रखी है। वे अच्छे वकील हैं। अगर गलत केस भी है, तो उसे ठीक समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहता था, आपने तो यह कहा कि फ्लोर टेस्टिंग के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं थी या चीफ मिनिस्टर तैयार नहीं थे, लेकिन 28 मार्च को तो तैयार थे, 31 मार्च को हाई कोर्ट ने किया था, अब 10 मार्च को कल है। इसके बावजूद भी अगर 15 घंटे के लिए आप यह बिल लाते हैं ...(व्यवधान) कल 10 मई है, मैं कल ही बोल रहा हूं न। ...(व्यवधान) केवल 15 घंटे का सवाल है। 15 घंटे में क्या आकाश गिरने वाला है? ...(व्यवधान) 15 घंटे में क्या ऐसा बड़ा बदलाव होने वाला है?...(व्यवधान)

दूसरी चीज, अगर कुछ होना है, तो जो गवर्नमेंट कल इलेक्ट होती, वह पास कर लेगी, एप्रोप्रिएशन बिल भी पास कर लेगी, दूसरे अगर कुछ वेंजेज हैं तो रीएप्रोप्रिएट करके पास कर लेगी। ये सारी चीजें हैं। यह 15 घंटे में हो जाता, लेकिन आप इतनी गड़बड़ी के साथ, तेजी के साथ, तूफान आए जैसा, आप जो बिल लाए हैं, यह ठीक नहीं है। ...(व्यवधान)

आप जो बजट लाए हैं, इसकी तो पार्टी हम बनने वाले नहीं हैं। हम तो सिर्फ यह चाहते हैं कि डेमोक्रैटिक प्रोसेस से यह पास हो जाए। आप मानते हैं, लेकिन क्या कंपल्शन है, मुझे मालूम नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि यह अनकांस्टीट्यूशनल है। यह डेमोक्रैसी का मर्डर है। ऐसी अनकांस्टीट्यूशन चीजों को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। ...(व्यवधान) कल तक आप वेट कीजिए। ...(व्यवधान) कल तक आप डेफर कीजिए। ...(व्यवधान) कल देखेंगे। ...(व्यवधान) इसके बाद अगर ...(व्यवधान) मुझे मालूम है, वह तो नहीं करने वाले हैं। ...(व्यवधान) तो इन प्रोटेस्ट वी आर वाकिंग आउट। ...(व्यवधान)

18.45 hours

(Shri Mallikarjun Kharge and some other hon. Members then left the House.)

HON. SPEAKER: I shall now put the Demands for Grants on Account (Uttarakhand) for 2016-17 to the vote of the House.

The question is:

> "That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttarakhand, on account, for or towards defraying the charges during the year ending on the 31st day of March, 2017, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 and 3 to 31."

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The Demands for Grants on Account (Uttarakhand) for 2016-17 are passed.

-